

एनआईओएस
और इसके कार्यक्रमों
के बारे में प्रायः
पूछे जाने वाले प्रश्न
(एफ.ए.क्यूस)



राष्ट्रीय मुक्ति विद्यालयी
शिक्षा संस्थान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के
अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान)

विषय वस्तु

	प्राक्कथन	
	प्रस्तावना	
अध्याय-1	एनआईओएस एक मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली	1
अध्याय-2	प्रवेश	3
अध्याय-3	शैक्षिक सहायता	10
अध्याय-4	मूल्यांकन एवं प्रमाणन	13
अध्याय-5	मुक्त बेसिक शिक्षा	17
अध्याय-6	व्यावसायिक शिक्षा	19
अध्याय-7	जब चाहो तब परीक्षा (आँन डिमांड)	21
अध्याय-8	आईसीटी तथा मीडिया सहायता	25
अध्याय-9	प्रत्यायन	26
अध्याय-10	एनआईओएस और अल्पसंख्यक शिक्षा	28
अध्याय-11	क्षेत्रीय केन्द्र और अध्ययन केन्द्रों में सहायता सेवाएं	32
अध्याय-12	क्या करें व क्या न करें	33
अध्याय-13	उच्चतर शिक्षा के लिए परामर्श	34

प्राक्कथन

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) ने 23 नवंबर 1989 को अपनी स्थापना के बाद से अब तक देश भर में ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है। यह मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) के माध्यम से पूर्व स्नातक स्तर तक अध्ययन के पाठ्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है। भारत में एनआईओएस के कार्यक्रमों जैसे मुक्त बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा चलाने के लिए 6000 से अधिक अध्ययन केंद्र हैं। एनआईओएस के कुछ अध्ययन केंद्र विदेश में भी हैं। विविध प्रकार के लक्ष्य समूह की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एनआईओएस ने भारत और विदेश में बड़ी संख्या में अध्ययन केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है।

एनआईओएस के इतने व्यापक संरचनात्मक स्वरूप को देखते हुए, यह स्वाभाविक है कि भावी शिक्षार्थियों और एनआईओएस में नामांकित शिक्षार्थियों को विभिन्न स्तरों पर प्रवेश, अध्ययन के पाठ्यक्रम, सहायता सेवाएँ और परीक्षा प्रणाली के बारे में विभिन्न प्रकार की पूछताछ की आवश्यकता हो। एनआईओएस से अध्ययन केंद्र के रूप में प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाली संस्थाएं/संगठन भी समय-समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारी मांगते रहते हैं।

यद्यपि एनआईओएस ने शिक्षार्थी के सहज उपयोग हेतु सहायता केन्द्र (users friendly learner support centre) स्थापित किया है जिस पर कॉल करके व्यक्ति एनआईओएस कार्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तथापि ऐसा पाया गया है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर/स्पष्टीकरण एनआईओएस के विभिन्न विभागों द्वारा प्रायः दिये जाते हैं। डॉ. संयम भारद्वाज, निदेशक, विद्यार्थी सहायता सेवाएँ विभाग ने एनआईओएस और इसके कार्यक्रमों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर एक पुस्तिका तैयार करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। उन्होंने इस प्रयास में एनआईओएस के सभी विभागों और इकाइयों से परामर्श किया है। मैं, विद्यार्थी सहायता सेवाएँ विभाग के इस प्रयास में सहयोग देने के लिए श्री यू.एन.खवाड़े, पूर्व सचिव, श्री सी. धारमन, सचिव एवं निदेशक (मूल्यांकन), डॉ. कुलदीप अग्रवाल, निदेशक (शैक्षिक) और व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भी सराहना करता हूँ।

मुझे लगता है कि यह पुस्तिका एनआईओएस के विभिन्न विभागों, वर्तमान और भावी अध्ययन केन्द्रों और जन सामान्य के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। यह दस्तावेज़ एनआईओएस की वेबसाइट पर भी दिया जाएगा जिससे इसका व्यापक प्रसार और उपयोग हो सके।

मैं इस पुस्तिका को तैयार करने में डॉ. संयम भारद्वाज और उनके कार्मिकों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूँ। इस दस्तावेज़ के बारे में आपके सुविचार एवं सुझाव का सदैव स्वागत है।

नवंबर, 2014

जे. आलम
संयुक्त सचिव, मा.सं.वि.म.
एवं अध्यक्ष, एनआईओएस

प्रस्तावना

भारत में विभिन्न प्रकार के बच्चों को शिक्षित करने के लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली मजबूत पकड़ बना रही है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली को सशक्त धरातल पर रखने का प्रयास कर रहा है। मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की अवधारणा के अनुरूप एनआईओएस ने बहुत से नव प्रवर्तन आरंभ किए हैं जो सामान्य तौर पर औपचारिक शिक्षा प्रणाली में उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- ❖ शिक्षार्थी को अपने स्थान तथा अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता।
- ❖ सुविधाएं जिनमें शामिल हैं:- (i) वर्ष भर प्रवेश (ii) पाठ्यक्रमों का व्यापक चयन (iii) सार्वजनिक परीक्षा (क्रेडिट संचयन की सुविधा के साथ नौ बार परीक्षा में बैठने का मौका) (iv) जब चाहो तब परीक्षा की सुविधा।
- ❖ व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों की प्रासंगिकता, क्योंकि ये दैनिक जीवन में उपयोगी तथा लाभदायक हैं और ये रोजगार के क्षेत्र के लिए भी तैयार करते हैं।
- ❖ शैक्षिक पाठ्यक्रमों के साथ व्यावसायिक विषयों को चुनने का विकल्प।
- ❖ क्रेडिट संचयन सुविधा।
- ❖ स्कूल शिक्षा के अन्य बोर्डों से क्रेडिट स्थानांतरण की सुविधा।
- ❖ व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी)।
- ❖ अनुशिष्टक द्वारा अंकित मूल्यांकन कार्य (टीएमए)
- ❖ शिक्षार्थियों को आईसीटी तथा मीडिया की सहायता।
- ❖ एनआईओएस के विभिन्न विभागों तथा अध्ययन केंद्रों में सहायता सेवाएं।

यह स्वाभाविक है कि जब बहुत सी नवीन विशेषताएं एक नई शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनती हैं तो उसके भावी शिक्षार्थी उसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण तथा उससे संबंधित जानकारी लेना चाहेंगे। एनआईओएस के प्रमाणपत्रों की मान्यता के बारे में अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है। इस बारे में कह सकते हैं कि एनआईओएस (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक संगठन) को पूर्व-स्नातक स्तर तक स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामांकन, परीक्षा तथा प्रमाणपत्र देने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब यह सवार्विदित है कि एनआईओएस, सीबीएसई तथा सीआईएससीई के समान राष्ट्रीय स्तर पर एक स्कूल शिक्षा बोर्ड के रूप में काम करते हैं। जो शिक्षार्थी एनआईओएस से अपने अध्ययन के पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करते हैं उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं तथा उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों इत्यादि में प्रवेश लेने में कोई कठिनाई नहीं होती है।

एनआईओएस के प्रारम्भिक वर्षों में, इसके बारे में सामान्यक जनता, शिक्षार्थियों तथा संस्थाओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब प्रायः संबंधित विभागों द्वारा दिए जाते थे। जुलाई, 2002 में विद्यार्थी सहायता सेवाएं विभाग के स्थापित होने के बाद यह नया विभाग एनआईओएस के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों से संबंधित अधिकांश प्रश्नों के उत्तर देने की सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम है। क्षेत्रीय केंद्रों के ई-मेल आईडी के अलावा अब शिक्षार्थी एनआईओएस के शिक्षार्थी सहायता केंद्र lsc@nios.ac.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। यह एक एकमात्र कॉल-प्रयोगकर्ता अनुकूल शिक्षार्थी सहायता केंद्र है जिसके माध्यम से कॉल करने वाला व्यक्ति अपने प्रश्नों के उत्तर आईवीआरएस के माध्यम से पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे और अपराह्न 5:30 बजे से पूर्वाह्न 9:30 बजे तक कार्यकारियों के साथ बात करके प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, एनआईओएस के बारे में अधिकांश जानकारी इसकी वेबसाइट www.nios.ac.in पर उपलब्ध है।

कुछ समय से यह अनुभव किया गया कि हमें “एनआईओएस तथा इसके कार्यक्रमों के बारे में अक्सर पूछे गए प्रश्नों (एफएक्यू) पर एक पुस्तिका” बनानी चाहिए। विद्यार्थी सहायता सेवाएं विभाग ने विभिन्न दस्तावेजों में उपलब्ध जानकारी के साथ-साथ एनआईओएस के विभिन्न विभागों से भी अधिक सूचनात्मक एक पुस्तिका बनाई। मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तिका सभी अधिकारियों तथा कार्मिकों को अध्ययन केंद्रों पर उपलब्ध अध्ययन के पाठ्यक्रमों, प्रणाली में शामिल सुविधाओं, परीक्षा तथा प्रमाणन, प्रत्यायन, अल्पसंख्यक शिक्षा, आईसीटी तथा मीडिया सहायता और सहायता सेवाओं जैसी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ बनाएंगी। इस पुस्तिका की सहायता से कोई भी अधिकारी या कार्मिक आंतुकों या कॉल करने वालों द्वारा मांगी गई जानकारी को संतोषजनक रूप से उपलब्ध करा सकेगा।

हम इस पुस्तिका की विषय वस्तु तथा उपयोगिता के बारे में आपके विचार तथा सुझाव आमंत्रित करते हैं।

नवंबर, 2014

डॉ. संयम भारद्वाज
निदेशक, विद्यार्थी सहायता सेवाएं विभाग,
एनआईओएस

एनआईओएस : एक मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली

1.	एनआईओएस क्या है? उत्तर: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) एक शैक्षिक संगठन है जो मुक्त एवं दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है और राष्ट्रीय बोर्डों यथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) तथा भारतीय स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा परिषद (सीआईएससीई) बोर्डों के समकक्ष स्तर पर पूर्व-स्नातक स्तर तक के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है और प्रमाणपत्र प्रदान करता है।
2.	मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली क्या है ? उत्तर: मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) स्व-अध्ययन सामग्री (एसएलएम) और शिक्षार्थियों की गति के आधार पर सुविधाजनक तरीके से शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की प्रवर्तनकारी संकल्पना है। इस माध्यम में, शिक्षार्थी को एसएलएम के अतिरिक्त पीसीपी और टीएमए के रूप में शैक्षिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।
3.	मुक्त विद्यालयी शिक्षा और नियमित विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है? उत्तर: नियमित विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था एक नियत समय-सारिणी के साथ कक्षा प्रणाली की औपचारिक व्यवस्था में आमने-सामने की एक परम्परागत शिक्षा व्यवस्था है; जबकि मुक्त विद्यालयी शिक्षा शिक्षार्थी की स्व-अध्ययन एक सुविधाजनक विधि से कराने और उसकी तैयारी के अनुसार मूल्यांकन की पद्धति है। मुक्त शिक्षा प्रणाली उन शिक्षार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो आर्थिक, सामाजिक या भौगोलिक कारणों से औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं या किसी प्रकार का रोजगार करने के साथ-साथ शिक्षा भी प्राप्त करना चाहते हैं।
4.	एनआईओएस शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से किसी अन्य संस्थान से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर: एनआईओएस मुक्त एवं दूरस्थ माध्यम से शिक्षण की शिक्षार्थी केन्द्रित अवधारणा का अनुसरण करता है। यह किसी अन्य औपचारिक शिक्षा प्रणाली की तुलना में अधिक व्यापक स्तर पर शिक्षा के विषय उपलब्ध कराती है। शिक्षार्थी अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के आधार पर विषयों के संयोजन का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। शिक्षार्थी विशेष रूप से तैयार की गई स्व-अध्ययन सामग्री (एसएलएम) से अपनी गति के अनुसार अध्ययन करते हैं। शिक्षार्थी को ऑडियो वीडियो सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और अवकाश के दिनों व सप्ताहांतों में अध्ययन केन्द्रों पर प्रत्यक्ष कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। शिक्षार्थियों को उनकी तैयारी के अनुसार उनके विषयों की परीक्षा में बैठने की स्वतंत्रता होती है।
5.	एनआईओएस द्वारा कौन से पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं? उत्तर: एनआईओएस निम्नलिखित कार्यक्रम/पाठ्यक्रम चलाता है:- (क) मुक्त बेसिक शिक्षा (ओबीई) कार्यक्रम, जिसमें निम्नलिखित तीन स्तर के पाठ्यक्रम शामिल हैं: <ul style="list-style-type: none"> (i) ओबीई 'क' स्तर का पाठ्यक्रम - तीसरी कक्षा के समकक्ष (ii) ओबीई 'ख' स्तर का पाठ्यक्रम - पांचवीं कक्षा के समकक्ष (iii) ओबीई 'ग' स्तर का पाठ्यक्रम - आठवीं कक्षा के समकक्ष (ख) शैक्षिक पाठ्यक्रम <ul style="list-style-type: none"> (i) माध्यमिक पाठ्यक्रम - दसवीं कक्षा के समकक्ष (ii) उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम - बारहवीं कक्षा के समकक्ष (ग) व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम (घ) जीवन समृद्धि पाठ्यक्रम

6.	<p>क्या एनआईओएस से प्राप्त माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र को वही मान्यता प्राप्त है जो अन्य बोर्डों को प्राप्त है?</p> <p>उत्तरम: जी हां। एनआईओएस से प्राप्त माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्रों को वही मान्यता प्राप्त है जो अन्य बोर्डों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों को प्राप्त है। एनआईओएस को दिनांक 14 सितंबर, 1990 में भारत सरकार के संकल्प के तहत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने का प्राधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, एनआईओएस सहित सभी बोर्ड चाहे वे राष्ट्रीय बोर्ड हों या राज्य बोर्ड, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा फ्रेमवर्क, 2005 का अनुसरण कर रहे हैं। अतः एनआईओएस के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के प्रमाणपत्र अन्य बोर्डों के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के प्रमाणपत्रों के समकक्ष और उनके समान हैं।</p>
7.	<p>एनआईओएस का संगठनात्मक स्वरूप क्या है?</p> <p>उत्तर: एनआईओएस का मुख्यालय ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित है। इसके संगठनात्मक स्वरूप में मुख्यालय में पांच विभाग तथा देश के विभिन्न राज्यों/भागों में उन्नीस क्षेत्रीय केन्द्र, दो उप-क्षेत्रीय केन्द्र तथा एक प्रकोष्ठ शामिल हैं। एनआईओएस के विभाग हैं (i) शैक्षिक (ii) व्यावसायिक शिक्षा (iii) मूल्यांकन (iv) शिक्षार्थी सहायता सेवाएँ और (v) प्रशासन।</p>
8.	<p>मुझे एनआईओएस के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है?</p> <p>उत्तर: इसके लिए आप एनआईओएस की वेबसाईट www.nios.ac.in देख सकते हैं या इपीएबीएक्स: 0120-4089800, टोल फ्री नंबर: 18001809393 पर फोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं।</p>
9.	<p>किस संकल्प के तहत, एनआईओएस को स्कूल स्तर पर परीक्षा आयोजित करने और इसके लिए प्रमाणपत्र देने का प्राधिकार प्रदान किया गया है?</p> <p>उत्तर: भारत के राजपत्र के भाग-1, अनुच्छेद सं. 42 में दिनांक 20 अक्टूबर, 1990 को प्रकाशित दिनांक 14 सितंबर, 1990 के संकल्पन सं. एक 5.24/90अनुसूची.3 के तहत भारत सरकार ने एनआईओएस को स्कूल स्तर पर परीक्षा आयोजित करने और तत्पश्चात प्रमाणपत्र जारी करने का प्राधिकार प्रदान किया है।</p>
10.	<p>क्या भारतीय विश्व विद्यालय संघ ने एनआईओएस प्रमाणपत्रों को समकक्षता प्रदान की है?</p> <p>उत्तर: जी हां। भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने दिनांक 25 जुलाई, 1991 के पत्र सं ईवी11/(354)/91 के तहत भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा में प्रवेश के लिए एनआईओएस के पाठ्यक्रमों को मान्यताप्राप्त बोर्डों की अन्य परीक्षाओं के समान समकक्षता प्रदान की है।</p>
11.	<p>क्या एनआईओएस से उत्तीर्ण माध्यमिक स्तर का शिक्षार्थी किसी अन्य बोर्ड में बारहवीं कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर सकता है?</p> <p>उत्तर: जी हां। चूंकि एनआईओएस सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सभी बोर्ड एनसीईआरटी द्वारा निर्मित राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क-2005 का अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए, एनआईओएस से माध्यमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला शिक्षार्थी किसी अन्य बोर्ड में बारहवीं कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के योग्य है।</p>
12.	<p>क्या एनआईओएस से उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा पास करने वाला शिक्षार्थी विश्वविद्यालय या व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त करने के योग्य है?</p> <p>उत्तर: जी हां। एनआईओएस का शिक्षार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय या व्यावसायिक कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने के योग्य है यदि वह उन विश्वविद्यालय/व्यावसायिक कॉलेज के योग्यता मानदंड को पूरा करता हो।</p>

vè; k; & 2

प्रवेश

<p>13. एनआईओएस में प्रवेश लेने की प्रक्रिया क्या है?</p> <p>उत्तर: एनआईओएस ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 100% ऑन-लाइन प्रवेश आरंभ किया है ताकि शिक्षार्थी स्वयं अपना पंजीकरण करा सकें।</p> <p>इस योजना के अंतर्गत, शिक्षार्थीयों के पास तीन विकल्प हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) वे एनआईओएस की वेबसाइट अर्थात् www.nios.ac.in पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अपना पंजीकरण करा सकते हैं। (ii) वे अपने निकटतम एआई (अध्ययन केन्द्र/सहायता केन्द्र में जाकर वहाँ ऑन-लाइन पंजीकरण के लिए उनकी सहायता कर सकते हैं। (iii) वे अपने क्षेत्रीय केन्द्रों में जा कर ऑन-लाइन पंजीकरण के लिए उनकी सहायता कर सकते हैं। (iv) शिक्षार्थी देशभर में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए भारत सरकार के जन सेवा केन्द्र की सेवाओं का प्रयोग भी कर सकते हैं।
<p>14. माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता मानदंड क्या हैं?</p> <p>उत्तर: एक व्यक्ति जिसने आठवीं कक्षा पास की हो और उसके पास 14 वर्ष की आयु पूरी करने का वैध प्रमाणपत्र हो तो वह माध्यमिक पाठ्यक्रम में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।</p> <p>एक स्व-प्रमाणपत्र कि “मैंने माध्यमिक पाठ्यक्रम करने के लिए पर्याप्त शिक्षा की है” देकर भी शिक्षार्थी माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य हो सकता है।</p> <p>ऐसा व्यक्ति जिसने माध्यमिक स्तर की शिक्षा कर ली है वह भी अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने या अपने अंकों में और सुधार करने के लिए एनआईओएस के माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कर सकता है।</p>
<p>15. जन्म तिथि का वैध प्रमाण क्या है ?</p> <p>उत्तर: नगर निगम नगर पालिका निकाय, ग्राम पंचायत या रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य निकाय द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाणपत्र एक वैध प्रमाणपत्र है। यद्यपि, अनाथ, बेघर बच्चों आदि के मामले में सरकारी अस्पतालों द्वारा जारी उनकी आयु संबंधी चिकित्सा प्रमाणपत्र को भी वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।</p>
<p>16. प्रवेश की वैधता अवधि क्या है?</p> <p>उत्तर: एक बार लिया गया प्रवेश अगले 5 वर्षों तक वैध रहता है।</p>
<p>17. क्या एनआईओएस शुल्क में किसी प्रकार की छूटें प्रदान करता है?</p> <p>उत्तर: एनआईओएस के नियमानुसार महिलाओं तथा अ.जा./अ.ज.जा./भूतपूर्व सैनिकों तथा भिन्न रूप से अक्षम शिक्षार्थीयों को शुल्क में छूट प्रदान की जाती है।</p>
<p>18. क्या कोई शिक्षार्थी सीधे उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश कर सकता है ?</p> <p>उत्तर: जी नहीं। उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थी को एक मान्यता बोर्ड से माध्यमिक पाठ्यक्रम में पास होना अनिवार्य है।</p>
<p>19. उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है ?</p> <p>उत्तर: उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा प्रवेश के वर्ष की 31 जुलाई को 15 वर्ष है।</p>
<p>20. एनआईओएस में पढ़ाई के माध्यम के रूप में कौन सी भाषाएँ उपलब्ध हैं ?</p> <p>उत्तर: एनआईओएस में माध्यमिक पाठ्यक्रम अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, मराठी, तेलुगू, गुजराती, मलयालम तथा उडिया भाषाओं में तथा उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू तथा बंगला भाषाओं में उपलब्ध हैं।</p>

21.	माध्यमिक पाठ्यक्रम (कक्षा- X) के लिए कौन से विषय उपलब्ध हैं ? उत्तरः अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बंगला, मराठी, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, असमिया, नेपाली, मलयालम, उड़िया, अरबी, फारसी, तमिल, गणित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक ज्ञान, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, भारतीय संस्कृति और विरासत, चित्रकला, डॉटा एन्ट्री कार्य।
22.	उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम (कक्षा-XII) के लिए कौन से विषय उपलब्ध हैं ? उत्तरः हिन्दी, अंग्रेजी, बांगला, तमिल, उर्दू, संस्कृत, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति अध्ययन, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, लेखांकन, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, जन संचार, डॉटा एन्ट्री कार्य। अद्यतन स्थिति की जानकारी करने के लिए अद्यतन शैक्षिक विवरणिका देखें।
23.	क्या मैं अपने प्रवेश की वैधता अवधि के दौरान अपने विषयों को बदल सकता/सकती हूँ ? उत्तरः जी हाँ। आप अपने एक या अधिक विषयों को बदल सकते हैं बशर्ते आपके विषयों की कुल संख्या सात से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, इस प्रकार के परिवर्तन की अनुमति आपके पंजीकरण से चार वर्ष के भीतर ही है, ताकि आप प्रवेश की वैधता अवधि के भीतर सार्वजनिक परीक्षा में बैठ सकें। प्रथम परीक्षा में विषयों में किसी प्रकार के परिवर्तन/संवर्धन की अनुमति नहीं है। उत्तीर्ण किए जा चुके विषयों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
24.	कक्षा-X का उत्तीर्ण प्रमाणपत्र करने के लिए कितने विषय अपेक्षित हैं ? उत्तरः माध्यमिक स्तर पर उत्तीर्ण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, शिक्षार्थी को एक या अधिकतम दो भाषाओं के साथ अधिकतम पांच विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
25.	क्या मैं अतिरिक्त विषयों में भी प्रवेश ले सकता हूँ ? उत्तरः जी हाँ, आप दो अतिरिक्त विषय चुन सकते हैं। इस प्रकार, आप अधिकतम सात विषय ले सकते हैं।
26.	पंजीकरण और परीक्षा के लिए प्रवेश शुल्क कितना है? उत्तरः पंजीकरण और परीक्षा के लिए नवीनतम शुल्क की रूपरेखा एनआईओएस की वेबसाइट और विवरणिका में उपलब्ध है।
27.	क्या एक शिक्षार्थी एक औपचारिक बोर्ड से माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के पश्चात एनआईओएस के माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकता है? उत्तरः जी हाँ। यदि आपने किसी राष्ट्रीय/राज्य बोर्ड से माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम की शिक्षा प्राप्त की है और आप एनआईओएस में समान पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एनआईओएस में चार विषयों के साथ प्रवेश प्राप्त हो सकता है। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात आपको केवल अंक तालिका प्रदान की जाएगी। दोहरी/आंशिक प्रवेश योजना के अंतर्गत प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है।
28.	क्या शैक्षिक पाठ्यक्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहा शिक्षार्थी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विषय चुन सकता है? उत्तर : जी हाँ, इसकी अनुमति है।
29.	मुझे मेरे प्रवेश की पुष्टि किस प्रकार प्राप्त होगी? उत्तरः एक विशिष्ट पाठ्यक्रम में प्रवेश की पुष्टि सामान्यतः एनआईओएस द्वारा एक पहचान पत्र जारी करके होती है जिसमें एनआईओएस के पास उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आपके प्रवेश संबंधी विवरण होते हैं। प्रवेश की पुष्टि के बाद शिक्षार्थी को उसकी नामांकन संख्या के बारे में भी सूचित किया जाता है।

30.	मुझे स्व-अध्ययन सामग्री कैसे प्राप्त होगी? उत्तर: विभिन्न विषयों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई मुद्रित स्व-अध्ययन सामग्री अन्य सहायक सामग्री सहित डाक द्वारा आपके घर के पते पर भेजी जाती है। अतः आप अपने घर का सही और पूरा पता दें।
31.	यदि मुझे इस सामग्री का पार्सल प्राप्त नहीं होता है तो मैं स्वयं किस प्रकार यह अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकता हूं? उत्तर: यदि अध्ययन सामग्री का पार्सल आपके पास नहीं पहुंचता है तो आप अपने आवास पर अध्ययन सामग्री के पुनः प्रेषण के लिए उप निदेशक, सामग्री वितरण इकाई, सीडब्ल्यूसी, जी.टी. करनाल रोड, राणा प्रताप बाग, दिल्ली - 110033 को रु. 100/- (एक सौ रुपए केवल) का डिमांड ड्रॉफ्ट भेज सकते हैं और यह डिमांड ड्रॉफ्ट सचिव, एनआईओएस के पक्ष में और दिल्ली में देय होगा।
32.	क्या प्रवेश रिकार्ड में संशोधन किए जाने का कोई प्रावधान है? उत्तर: जी हाँ, यदि प्रवेश के समय किसी विवरण जैसे नाम, पिता के नाम, माता के नाम, जन्म तिथि, पता या फोटो आदि सही ढंग से नहीं लिखे गए हैं तो शिक्षार्थी संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र में सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करके संशोधन के लिए अनुरोध कर सकता है। इस संबंध में दिशानिर्देश एनआईओएस की वेबसाइट पर दिये गए हैं।
33.	क्या एक शिक्षार्थी अपने विषय में परिवर्तन कर सकता है या अतिरिक्त विषय ले कर सकता है? उत्तर: प्रवेश के पश्चात शिक्षार्थी अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके अपने विषय बदल सकता है या कोई अतिरिक्त विषय प्राप्त कर सकता है।
34.	क्या एनआईओएस पहचान पत्र की दूसरी प्रति जारी करता है? उत्तर: जी हाँ, पहचान पत्र खो जाने की स्थिति में, संबंधित पुलिस स्टेशन में इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराने के पश्चात पहचान पत्र की दूसरी प्रति जारी की जाती है। इसके लिए शिक्षार्थी को एक कागज पर एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र में आवेदन करना होगा और इस आवेदन के साथ एफआईआर की प्रति, अपेक्षित शुल्क का बैंक ड्रॉफ्ट और दो फोटो संलग्न करने होंगे। इस बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश एनआईओएस की वेबसाइट पर देखें जा सकते हैं।
35.	क्या शिक्षार्थी कोई भी विषय संयोजन चुन सकता है? उत्तर: शिक्षार्थी उत्तीर्ण होने का मानदंड और प्रमाणन मानदंड के साथ-साथ आगे की शिक्षा के लिए अन्य बोर्डों/विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए एनआईओएस की वेबसाइट और विवरणिका पर दो दो गई सूची से अपनी पसंद के विषय चुन सकता/सकती है।
36.	क्या शिक्षार्थी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक पाठ्यक्रमों के साथ व्यावसायिक विषय ले सकता है? उत्तर: जी हाँ। एनआईओएस के पाठ्यक्रमों को और अधिक सार्थक बनाने के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्वतंत्र रूप से या शैक्षिक विषयों के साथ चलाए जाते हैं।
37.	क्या भारत सरकार के जन सेवा केंद्र एनआईओएस के सहायता केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत हैं? उत्तर: जी हाँ। एनआईओएस ने सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया ज्ञापन सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के अंतर्गत देश भर के सभी जन सेवा केंद्र एनआईओएस के सहायता केंद्रों के रूप में वहाँ कार्य करेंगे जहाँ कोई भी भावी शिक्षार्थी निर्धारित दरों पर एनआईओएस की विभिन्न ऑनलाइन सुविधाएं ले रहे हैं। ये दरें पुस्तिका के पृष्ठ 15 से 16 पर दिए गए हैं। शिक्षार्थी को इन दरों के अनुसार राशि का भुगतान करना होगा और यह राशि एनआईओएस के पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त होगी।

38. विभिन्न राज्यों में जन सेवा केंद्र किन नामों से जाने जाते हैं?

उत्तर: विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	राज्य	सीएससी नाम
1.	आंध्र प्रदेश	राजीव नागरिक सेवा केंद्र
2.	अंडमान एवं निकोबार	ई द्वीप
3.	अरुणाचल प्रदेश	सीएससी
4.	असम	अरुणोदय केंद्र
5.	बिहार	वसुधा
6.	चंडीगढ़	ग्राम संपर्क केंद्र
7.	छत्तीसगढ़	ग्रामीण चयन केंद्र
8.	दिल्ली	जीवन केंद्र
9.	गोवा	लोक सेवा केंद्र
10.	गुजरात	ई-ग्राम
11.	हरियाणा	ई-दिशा
12.	हिमाचल प्रदेश	लोक मित्र केंद्र
13.	जम्मू एवं कश्मीर	खिदमत केंद्र
14.	उत्तराखण्ड	प्रज्ञा केंद्र
15.	कर्नाटक	नेमाकदी केंद्र
16.	केरल	अक्षया केंद्र
17.	लक्ष्मीपुर	आश्रय
18.	मध्य प्रदेश	नागरिक सुविधा केंद्र
19.	महाराष्ट्र	महा ई सेवा केंद्र
20.	मणिपुर	जन सेवा केंद्र
21.	मेघालय	रेनबो केंद्र
22.	मिजोरम	मिजोरम ऑन लाइन केंद्र (मॉक)
23.	नागालैंड	नागालैंड एक, जन सेवा केंद्र
24.	ओडिशा	जन सेवा केंद्र
25.	पुडुचेरी	सीएससी
26.	ਪंजाब	ग्राम सुविधा
27.	राजस्थान	ई-मित्र
28.	सिक्किम	कोई नाम नहीं
29.	तमिलनाडु	जन कंप्यूटर केंद्र
30.	त्रिपुरा	ई-परिसेवा केंद्र
31.	उत्तर प्रदेश	जन सेवा केंद्र
32.	उत्तराखण्ड	ई-उत्तर
33.	पश्चिम बंगाल	तथ्य मित्र केंद्र

एनआईओएस शिक्षार्थियों को ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए जन सेवा केन्द्रों (सीएससी) की दरें/प्रभार
 (क)

शिक्षार्थी प्रवेश फॉर्म जमा करने का			
क्र.सं.	सेवा का नाम	सेवाओं की प्रकृति	राशि रु. में
1	आवेदन फॉर्म डाउनलोड, पंजीकरण और ऑनलाइन फॉर्म भरना।	आवश्यक	10
2	फॉर्म जमा करना एवं पंजीकरण प्राप्ति और पता पर्ची की पुष्टि का प्रिंट 5/- प्रति पेज लेना	आवश्यक	15
3	फार्म जमा करने के लिए वास्तविक मूल्य	आवश्यक	25
4	सेवा मार्जिन		8
I	ऑनलाइन फार्म जमा के लिए कुल मूल्य केवल (संग्रह शुल्क शामिल नहीं है)	आवश्यक	33
5	कोर्स की फीस के भुगतान के लिए गेटवे प्रभार*	वैकल्पिक	10
6	फोटो लगाना और हस्ताक्षर स्कैन करना 5/- रु. प्रति कॉपी फोटो एवं 2/- रुपये प्रति स्कैन	वैकल्पिक	7
7	ऑनलाइन जमा करने के लिए वास्तविक मूल्य	वैकल्पिक	42
8	सेवा मार्जिन	वैकल्पिक	13
II	ऑनलाइन जमा करने के लिए कुल मूल्य (संग्रह शुल्क सहित)	वैकल्पिक	55
9	सहायक दस्तावेजों की फोटोकॉपी (4 पेज) रु. 1/- प्रति पृष्ठ की दर पर	वैकल्पिक	4
10	ऑफलाइन जमा करने के लिए वास्तविक मूल्य	वैकल्पिक	39
11	सेवा मार्जिन	वैकल्पिक	11.7
12	लिफाफा और डाक प्रभार**	वैकल्पिक	20
III	ऑफलाइन जमा करने के लिए कुल मूल्य (शुल्क लेना और पंजीकरण फॉर्म प्रेषित करना शामिल है)	वैकल्पिक	71

(B)

परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए सीएससी की दरें शिक्षार्थियों से ली जाएँ			
क्र.स.	सेवा	सेवाओं की प्रकृति	राशि रु. में
1	आवेदन परीक्षा फॉर्म डाउनलोड, पंजीकरण और ऑनलाइन फॉर्म भरना।	आवश्यक	5
2	पावती रसीद की छपाई	आवश्यक	5
	सेवा मार्जिन		3
I	केवल परीक्षा के लिए पावती रसीद जमा करने और मुद्रण के लिए कुल मूल्य	आवश्यक	13
3	परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए गेटवे प्रभार*	वैकल्पिक	10
4	पावती रसीद की छपाई रु. 5/- प्रति पेज	वैकल्पिक	5
5	डाउनलोड/परीक्षा के प्रवेश पत्र का मुद्रण रु. 5/- प्रति पेज	वैकल्पिक	5
	परीक्षा फार्म जमा करने का वास्तविक मूल्य		30
	सेवा मार्जिन	वैकल्पिक	9
II	परीक्षा फार्म को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए शिक्षार्थी के लिए कुल मूल्य		39

* शिक्षार्थी वास्तविक पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान सीएससी ऑपरेटर को करेगा

** शिक्षार्थी वास्तविक डाक खर्च का भुगतान करेगा

(C)

परीक्षा की घोषणा और अंकसूची के मुद्रण के लिए सीएससी की दरें शिक्षार्थियों से ली जाएँ			
क्रम सं	सेवा का नाम	सेवाओं की प्रकृति	राशि रु. में
1	अंकतालिका को डाउनलोड करना	वैकल्पिक	5
2	अंकतालिका का मुद्रण रु. 5/- प्रति पेज	वैकल्पिक	5
	परिणाम की घोषणा के लिए वास्तविक मूल्य		10
	सेवा मार्जिन		3
	परिणामों के लिए शिक्षार्थी के लिए कुल मूल्य		13

(D)

एनआईओएस संबंधी सेवाओं के लिए शिक्षार्थियों से लिए जाने वाले सीएससी की अन्य दरें।			
क्र.सं.	सेवा का नाम	सेवाओं की प्रकृति	राशि रु. में
1	किसी भी प्रकार की स्थिति की पूछताछ/आवेदन की स्थिति के लिए	वैकल्पिक	5
2	डिजिटल फोटोग्राफी और पासपोर्ट आकार का फोटो का मुद्रण	वैकल्पिक	10
3	शिक्षार्थी पहचान पत्र की कलर फोटोकापी रु. 10/- प्रति पेज	वैकल्पिक	10
4	शिक्षार्थी पहचान पत्र का लेमिनेशन रु. 10/- प्रति पेज	वैकल्पिक	10
5	किसी भी काले और सफेद मुद्रण के लिए रु. 5/- प्रति पेज	वैकल्पिक	5
6	किसी भी रंगीन मुद्रण के लिए रु. 10/- प्रति पेज	वैकल्पिक	10

शैक्षिक सहायता

39.	<p>क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) क्या है?</p> <p>उत्तर: किसी अन्य मान्य बोर्ड के माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर के पूर्व-शिक्षार्थी, जो कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हों, किन्तु पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाये हों, वह एनआईओएस में संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं और क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं जिसके अंतर्गत मूल बोर्ड से उत्तीर्ण किए गए किन्हीं दो विषयों के अंक प्रमाणपत्र के लिए एनआईओएस में स्थानांतरित किए जा सकते हैं।</p>
40.	<p>टीओसी के लिए आवेदन कब किया जाता है?</p> <p>उत्तर: शिक्षार्थी प्रवेश के समय उन विषयों में क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) मांग सकता है जो एनआईओएस की अध्ययन योजना में शामिल हैं। प्रवेश फॉर्म के साथ पिछले बोर्ड की मूल अंक तालिका जमा करनी होगी।</p>
41.	<p>क्या किसी अन्य बोर्ड/एनआईओएस से पहले ही उत्तीर्ण किए जा चुके विषयों के लिए एनआईओएस के माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों में क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) की अनुमति दी जाएगी?</p> <p>उत्तर: जी हां। एनआईओएस अपने शिक्षार्थियों को अधिकतम 4 विषयों में तथा अन्य बोर्ड के शिक्षार्थियों को अधिकतम 2 विषयों में क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) की सुविधा उपलब्ध करता है, यदि इन्हें पिछले 05 वर्षों में उत्तीर्ण किया गया है बशर्ते ये विषय एनआईओएस की अध्ययन योजना में भी उपलब्ध हों।</p>
42.	<p>एनआईओएस में अनुदेशानात्मक प्रक्रिया क्या है?</p> <p>उत्तर: अनुदेशानात्मक प्रक्रिया में स्व-अध्ययन मुद्रित सामग्री का प्रयोग, शृंखला एवं दृश्य कार्यक्रमों को सुनना एवं देखना, अध्ययन केन्द्रों में व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होना, ई-रेडियो मुक्त विद्या वाणी के माध्यम से आपसी संपर्क और शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य शामिल हैं।</p>
43.	<p>एनआईओएस में शिक्षार्थी किस प्रकार शिक्षा प्राप्त करते हैं?</p> <p>उत्तर : एनआईओएस में शिक्षार्थी अपनी गति और सुविधा के आधार पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। एनआईओएस के शिक्षार्थी स्वयं पढ़ने वाले शिक्षार्थी हैं।</p>
44.	<p>शिक्षार्थी को कितने सम्पर्क सत्र प्राप्त होते हैं?</p> <p>उत्तर: एनआईओएस के नियमानुसार एआई (अध्ययन केन्द्रों) द्वारा प्रवेश के प्रथम वर्ष में सामान्यतः सप्ताहांतों और अवकाश के दिनों में सिद्धांत के लिए प्रति विषय अधिकतम 30 पीसीपी तथा प्रयोग वाले विषयों के लिए 5 अतिरिक्त प्रयोगात्मक सत्रों का आयोजन प्रत्यक्ष आधार पर किया जाता है।</p>
45.	<p>अनुशिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य (टीएमए) क्या है?</p> <p>उत्तर: अनुशिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य शिक्षार्थियों की सहायता करने के लिए है क्योंकि ये उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करते हैं और उन्हें इन पर फोड़बैक भी प्राप्त होता है।</p>
46.	<p>शिक्षार्थी के लिए टीएमए किस प्रकार सहायक है?</p> <p>उत्तर: टीएमए से शिक्षार्थी को अपनी प्रगति सुनिश्चित करने और अपनी पढ़ाई के पुनरीक्षण में मदद मिलती है।</p>
47.	<p>प्रत्येक विषय में कितने मूल्यांकन कार्य जमा करने होते हैं?</p> <p>उत्तर: अप्रैल/मई के दौरान होने वाली परीक्षाओं के लिए 31 जनवरी से पहले तथा अक्टूबर/नवंबर के दौरान होने वाली परीक्षाओं के लिए 30 जुलाई से पहले प्रति विषय एक मूल्यांकन कार्य जमा कराना होता है।</p>

48.	क्या एनआईओएस के सभी शिक्षार्थियों को टीएमए जमा कराना होता है? उत्तर: जी नहीं, टीएमए की व्यवस्था केवल एनआईओएस प्रवेश के स्ट्रीम-1 के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों पर ही लागू है। यह स्ट्रीम-II, III तथा IV के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों पर लागू नहीं है।
49.	क्या एक शिक्षार्थी जिसकी अंतिम परीक्षा का परिणाम उसे एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र बनाता है, वह उसकी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकता है? उत्तर: जी हां, शिक्षार्थी एनआईओएस की परीक्षा में भाग लेने के परिणाम की प्रत्याशा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकता है।
50.	क्या टीएमए करना अनिवार्य है? उत्तर: टीएमए का मूल्यांकन 'सतत और वृहत मूल्यांकन' का एक महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए एक शैक्षिक अभ्यास के रूप में इसे 'अनिवार्य' माना जाना चाहिए। तथापि, शिक्षार्थी को सार्वजनिक परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है चाहे उसने अपने विषय में टीएमए जमा नहीं कराए हैं। शिक्षार्थी को आंतरिक मूल्यांकन के 'टीएमए' भाग के लिए 'शून्य' अंक प्रदान किए जाएंगे।
51.	क्या मैं अपना अध्ययन केन्द्र/एआई बदल सकता हूँ? उत्तर: शिक्षार्थी को अपने अध्ययन केन्द्र/एआई का चयन अत्यंत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। यदि शिक्षार्थी अपने अध्ययन केन्द्र में परिवर्तन करना चाहता है तो वह इसके लिए वैध कारण देते हुए अपने अनुरोध के पक्ष में उचित दस्तावेज प्रस्तुत करके आवेदन कर सकता है और इसके लिए उसे संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 300/- का शुल्क जमा कराना होगा जो सचिव, एनआईओएस के पक्ष में और संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र में देय हो। मामले पर निर्णय लेने के लिए निदेशक (वि.स.से) सक्षम प्राधिकारी होंगे।
52.	व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) क्या है? उत्तर: पीसीपी पढ़ाई के लिए एक सुव्यवस्थित निदानात्मक सत्र है जो शिक्षार्थियों को उनकी पढ़ाई के दौरान विषय संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करता है।
53.	पीसीपी का क्या महत्व है? उत्तर: पीसीपी शिक्षार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी पढ़ाई में अपनी कठिनाइयों के समाधान का अवसर देता है। शिक्षार्थी मित्र समूह में मिलकर अपना अनुभव बांट सकते हैं।
54.	पीसीपी किन के लिए है? उत्तर: पीसीपी एनआईओएस के स्ट्रीम-1 के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थियों के लिए है।
55.	कितने पीसीपी में भाग लेना अनिवार्य है? उत्तर: 30 पीसीपी में से 10 में भाग लेना अनिवार्य है चूंकि पीसीपी के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं और उनकी जांच की जाती हैं। अतः शिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सभी पीसीपी सत्रों में भाग लें।
56.	पीसीपी सत्रों की अवधि कितनी होगी? उत्तर: पीसीपी सत्रों की अवधि 40 मिनट प्रति सत्र होगी।
57.	यदि शिक्षार्थी न्यूनतम पीसीपी में भाग नहीं लेता है तो क्या उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। उत्तर: जी हां।
58.	पीसीपी की समय सारणी कौन तैयार करेगा? उत्तर: संबंधित क्षेत्रीय केंद्र/एआई समय सारणी तैयार करेंगे और जैसा भी मामला होगा संबंधित शिक्षार्थियों, क्षेत्रीय केंद्र और शिक्षार्थी सहायता सेवाएं विभाग को सूचित करेंगे।
59.	पीसीपी कहाँ आयोजित किए जाएंगे? उत्तर: पीसीपी सत्र संबंधी अध्ययन केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे।
60.	अनुशिक्षकों की आवश्यक योग्यता क्या है? उत्तर: माध्यमिक स्तर के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए स्नातकोत्तर शिक्षक।

61.	यदि शिक्षार्थी ने टीएमए जमा कराया है, परंतु वह सार्वजनिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया और परीक्षा में पुनः बैठ रहा है तो क्या उसे टीएमए पुनः जमा कराना होगा? उत्तर: टीएमए पुनः जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। टीएमए के अंक अगले परिणाम में जोड़े जाएंगे।
62.	यदि शिक्षार्थी सार्वजनिक परीक्षा में कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाता है और उस विषय विशेष के लिए जब चाहे तब परीक्षा (ओइस) चुनता है तो क्या टीएमए के उसके अंक जोड़े जाएंगे ? उत्तर: जी हाँ।
63.	शिक्षार्थी टीएमए कहाँ जमा कराएं ? उत्तर: शिक्षार्थी अपनी टीएमए निम्नसलिखित स्थानों पर जमा कर सकता है शिक्षार्थियों के द्वारा सभी टीएमए आवंटित अध्ययन केंद्रों पर जमा किए जाएंगे। यदि अध्ययन केंद्र कार्य नहीं कर रहा है तो टीएमए संबंधित क्षेत्रीय केंद्र पर जमा किए जाएंगे और वहाँ क्षेत्रीय केंद्र द्वारा ही उनका मूल्यांकन कराया जाएगा। यदि किन्हीं कारणों से कोई अध्ययन केंद्र बंद है तो टीएमए नए आवंटित अध्ययन केंद्र में जमा किए जाएंगे उसी अध्ययन केंद्र में टीएमए का मूल्यांकन भी किया जाएगा।
64.	यदि शिक्षार्थी परीक्षा से पहले टीएमए जमा नहीं करता है तो क्या उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी ? उत्तर: जी हाँ। शिक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। यद्यपि इससे शिक्षार्थी समंजस्य स्थिति में हो जाएगा। अतः यह सलाह दी जाती है कि वे टीएमए जमा करें।
65.	यदि कोई शिक्षार्थी टीएमए में उत्तीर्ण अंक प्राप्त नहीं करता है तो उसका क्या परिणाम होगा ? उत्तर: परिणाम सार्वजनिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर घोषित किया जाएगा। अलग से उत्तीर्ण अंक टीएमए में अनिवार्य नहीं है।
66.	क्या परीक्षा में समान चक्र में टीएमए पुनः जमा कराना संभव है अथवा नहीं? उत्तर: जी नहीं।
67.	क्या टीएमए की टिप्पणियां और अंक शिक्षार्थी को दर्शाये जा सकते हैं ? उत्तर: जी हाँ। टीएमए की जांची गई उत्तर पुस्तिका शिक्षार्थियों को दर्शायी जा सकती है। अनुशिक्षक उनके निष्पादन में सुधार के बारे में विचार-विमर्श भी कर सकता है। इसके लिए पीसीपी सत्रों के दौरान 5 दिन निर्धारित किए गए हैं।
68.	क्या शिक्षार्थी टीएमए के पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है ? उत्तर: जी नहीं।
69.	टीएमए में एक बार दिए गए अंक अंतिम होते हैं अथवा नहीं ? उत्तर: एआई द्वारा प्रदान किया डाटा अंतिम डाटा के रूप में स्वीकार्य किया जाता है और समयान्तर में इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
70.	यदि एक शिक्षार्थी ने किसी विषय विशेष के बाद टीएमए जमा कराया है परंतु वह सिद्धांत (लिखित) परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया तो अंतिम परिणाम क्या होगा? उत्तर: परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सिद्धांत परीक्षा में अलग से उत्तीर्ण अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इस मामले में शिक्षार्थी को सार्वजनिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।
71.	यदि शिक्षार्थी सार्वजनिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, परंतु टीएमए में फेल हो जाता है तो क्या उसका परिणाम घोषित किया जाएगा अथवा नहीं ? उत्तर: टीएम में उत्तीर्ण होने के लिए कोई न्यूनतम अंक नहीं है फिर भी शिक्षार्थी को बाह्य परीक्षा में कम से कम 33% अंक और समेकित परिणाम में 33% अंक प्राप्त करने होंगे। अद्यतन जानकारी एनआईओएस की वेबसाइट से देखी जा सकती है।
72.	क्या शिक्षार्थी को उसके टीएमए बनाने के लिए पीसीपी के दौरान मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान है? उत्तर: शिक्षार्थी पीसीपी के दौरान टीएमए के उत्तर देने के लिए अनुशिक्षकों से मार्गदर्शन ले सकता है।

मूल्यांकन एवं प्रमाणन

73.	एनआईओएस की परीक्षा का स्वरूप क्या है?
	उत्तर: सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन एनआईओएस द्वारा निर्धारित तिथियों में अप्रैल-मई और अक्टूबर-नवंबर के महीनों में वर्ष में दो बार किया जाता है। तथापि, यदि कोई शिक्षार्थी माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए पहले से एनआईओएस का पंजीकृत शिक्षार्थी है तो वह जब चाहो तब परीक्षा (ऑन-डिमांड परीक्षा) की सुविधा प्राप्त कर सकता है। आंतरिक आंकलन, मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग है। संबंधित विषयों में प्रायोगिक परीक्षाएं अध्ययन केन्द्र में आयोजित की जाती हैं।
74.	क्या परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक परीक्षा से पहले किया जाता है?
	उत्तर: जी हाँ, एनआईओएस की परीक्षा में बैठने के लिए शिक्षार्थी को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरना होता है और उसे परीक्षा शुल्क का भी भुगतान करना होता है।
75.	क्या परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है?
	उत्तर: डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।
76.	परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑफलाइन किस प्रकार किया जा सकता है?
	उत्तर: परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑफलाइन भी किया जा सकता है और इसके लिए शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाता है जो 'सचिव, एनआईओएस' के नाम पर बनाया जाएगा और संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र पर देय होगा।
77.	क्या परीक्षा के लिए विलंब शुल्क के भुगतान के लिए कोई प्रावधान है?
	उत्तर: जी हाँ। निर्धारित तिथियों के पश्चात नियमों के अनुसार शिक्षार्थी विलंब शुल्क अथवा समेकित विलंब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकता है। यह भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लिया जाएगा जो 'सचिव, एनआईओएस' के पक्ष में और संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र पर देय होगा। समेकित शुल्क के साथ आवेदन केवल संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र में भी लिया जा सकता है न कि एआई में।
78.	एक शिक्षार्थी को परीक्षा की तिथि संबंधी जानकारी किस प्रकार प्राप्त होगी?
	उत्तर: परीक्षा की तिथि संबंधी जानकारी परीक्षा आरंभ होने से लगभग एक माह पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाती है। परीक्षा योजना को एआई के सूचना बोर्डों पर भी दर्शाया जाता है।
79.	क्या एक शिक्षार्थी जिसे पिछले वर्ष माध्यमिक पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है वह इस वर्ष उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में बैठ सकता है?
	उत्तर: जी हाँ। शिक्षार्थी को अधिकतम 04 विषयों की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी और प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक 5वें विषय में पंजीकरण कराने के योग्य होने के लिए माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दो वर्ष का अंतर होना अनिवार्य है शिक्षार्थी प्रथम वर्ष के दौरान अधिकतम 04 विषयों में परीक्षा दे सकता है।
80.	यदि एआई बंद हो जाता है तो परीक्षा शुल्क का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा?
	उत्तर: यदि एआई बंद/निष्क्रिय हो गया है तो उस क्षेत्र के संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र में निर्धारित फार्म के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
81.	प्रायोगिक परीक्षाएं कहां आयोजित होती हैं ?
	उत्तर: सार्वजनिक परीक्षा के लिए प्रयोग परीक्षाएं संबंधित एआई में आयोजित होती हैं जहां शिक्षार्थी ने नामांकन कराया है। कुछ मामलों में, यदि शिक्षार्थियों की संख्या कम है तो प्रायोगिक परीक्षा एनआईओएस के समीपवर्ती एआई या एनआईओएस के निर्णय के अनुसार किसी अन्य संस्थान में आयोजित किया जा सकता है।

82.	<p>सिद्धांत परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र कहां निर्धारित होगा?</p> <p>उत्तरः शिक्षार्थी द्वारा सैद्धांतिक परीक्षा के लिए पंजीकृत किए जाने और परीक्षा फॉर्म व शुल्क जमा कराने के पश्चात सिद्धांत परीक्षा के लिए स्कूल की उपलब्धता के अनुसार उनके अध्ययन केन्द्र के समीपवर्ती क्षेत्र में परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाता है।</p>
83.	<p>क्या परीक्षा केन्द्र बदला जा सकता है?</p> <p>उत्तरः जी हां, एनआईओएस के नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा केन्द्र बदला जा सकता है।</p>
84.	<p>क्या परीक्षा के दौरान भिन्न रूप से अक्षम व्यक्तियों को किसी प्रकार की छूट प्रदान की जाती हैं?</p> <p>उत्तरः परीक्षा के दौरान भिन्न रूप से अक्षम व्यक्तियों को निम्नलिखित छूटें प्रदान की जाती हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ एक लेखक का प्रावधान। ◆ नेत्रहीन, भिन्न रूप से अक्षम या मंदबुद्धि शिक्षार्थियों को अधिकतम एक घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाता है। ◆ अचानक बीमार हुए/दुर्घटनाग्रस्त शिक्षार्थियों के लिए रियायत। ◆ बैठने के लिए अलग से व्यवस्था। ◆ चलने फिरने में/अस्थि रोग से ग्रस्त, देखने व सुनने निशक्त शिक्षार्थियों को निशक्तता-वार रियायतें। ◆ बहुल निशक्तमता/मस्तिष्क पक्षाधात, मानसिक रूप से मंद तथा कुष्ठरोग उपचारित व्यक्तियों को रियायत। ◆ यह रियायतें केवल सैद्धांतिक परीक्षा के लिए उपलब्ध हैं, प्रायोगिक परीक्षा के लिए नहीं।
85.	<p>एक भिन्न रूप से अक्षम व्यक्ति परीक्षा में छूट के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकता है?</p> <p>उत्तरः भिन्न रूप से अक्षम व्यक्ति संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र में लिखित रूप से आवेदन कर सकता है और इस आवेदन के साथ उसे सरकारी अस्पताल से जारी निशक्तता की प्रकृति और स्तर को दर्शाने वाला प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।</p>
86.	<p>क्या भिन्न रूप से अक्षम व्यक्तियों को अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है? यदि हां, तो कितना समय?</p> <p>उत्तरः जी हां, नियमों के अनुसार नेत्रहीन और भिन्न रूप से अक्षम व्यक्तियों को अतिरिक्त समय दिया जाता है। प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है।</p>
87.	<p>ऐसी स्थिति में क्या होता है जब एक शिक्षार्थी आवंटित परीक्षा केन्द्र के अतिरिक्त किसी अन्य केन्द्र में परीक्षा देता है?</p> <p>उत्तरः शिक्षार्थी को केवल आवंटित परीक्षा केन्द्र में ही बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है। यदि शिक्षार्थी परीक्षा के लिए किसी अन्य केन्द्र में जाता है तो उसका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाता है और ऐसे मामले को अनुचित साधनों के प्रयोग का मामला माना जाता है।</p>
88.	<p>शिक्षार्थी को परीक्षा परिणामों का पता किस प्रकार चलता है?</p> <p>उत्तरः परीक्षा परिणाम एनआईओएस की वेबसाइट और एआई पर उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रत्यायन मानदंडों के अनुसार पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात शिक्षार्थी को अंक तालिका, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र तथा अन्तिम प्रमाणपत्र सीधे उसके उसी पते पर भेजा जाता है जो उसने अपने आवेदन फॉर्म में दिया है।</p>
89.	<p>यदि शिक्षार्थी एक या दो विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो क्या उसे पुनः हर विषय की परीक्षा देनी होगी ?</p> <p>उत्तरः जी नहीं, शिक्षार्थी को केवल उसी विषय को उत्तीर्ण करना होता है जिसमें वह अनुत्तीर्ण हुआ है।</p>

90.	<p>उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, यदि एक शिक्षार्थी सैद्धांतिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है किन्तु प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो क्या उसे दोबारा प्रायोगिक परीक्षा देनी होगी?</p> <p>उत्तर: जी नहीं। यदि शिक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है किन्तु उस विषय के सिद्धांत भाग में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसकी प्रायोगिक परीक्षा के अंक यथावत रहेंगे और उसे सिद्धांत की परीक्षा पुनः देनी होगी।</p>
91.	<p>क्या किसी विषय में अपने अंकों में सुधार किया जा सकता है?</p> <p>उत्तर: जी हां, सार्वजनिक परीक्षाओं में केवल एक बार और जब चाहो तब परीक्षा में अपने पंजीकरण की वैध अवधि के दौरान जितनी बार चाहे अंकों में सुधार किया जा सकता है।</p>
92.	<p>शिक्षार्थी को अपने परिणाम दस्तावेज़ अंकतालिका/प्रमाणपत्र आदि किस प्रकार प्राप्त होते हैं?</p> <p>उत्तर: संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा शिक्षार्थी के पत्राचार पते पर अंकतालिका और अन्य दस्तावेज़ भेजे जाते हैं।</p>
93.	<p>एनआईओएस द्वारा जारी प्रमाणपत्र की विश्वसनीयता क्या है?</p> <p>उत्तर: एनआईओएस सहित सभी बोर्ड, चाहे वे राष्ट्रीय अथवा राज्य बोर्ड हों, सभी एनसीईआरटी द्वारा तैयार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का अनुसरण कर रहे हैं। अतः एनआईओएस स्व-जारी प्रमाणपत्रों की स्वीकार्यता स्कूल शिक्षा के अन्य बोर्डों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के समान है। एनआईओएस के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्रों के समकक्ष है।</p>
94.	<p>अंकतालिका/प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति करने की प्रक्रिया क्या है?</p> <p>उत्तर: अंकतालिका/प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए, एनआईओएस की वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र से इसे प्राप्त करें और तपश्चात् निर्धारित शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट के साथ अंक एवं माइग्रेशन अनुभाग, एनआईओएस में इसके लिए आवेदन करें।</p>
95.	<p>परिणाम में संशोधन कराने की क्या प्रक्रिया है?</p> <p>उत्तर: यदि परिणाम में कोई अनियमितता पायी जाती है तो शिक्षार्थी को परिणामों की घोषणा से तीस दिनों के भीतर अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के पास संशोधन के लिए आवेदन करना होगा। अपने रिकॉर्ड में संशोधन कराने के आवेदन का प्रारूप एनआईओएस की वेबसाइट में शिक्षार्थी सूचना भाग में उपलब्ध है।</p>
96.	<p>क्या उत्तर पुस्तिकाओं की पुनःजांच का कोई प्रावधान है?</p> <p>उत्तर: जी हां। एनआईओएस उत्तर पुस्तिकाओं की पुनःजांच के लिए एक अवसर प्रदान करता है जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं के अंकों का पुनः योग किया जाता है और यदि कोई भाग छूट गया है तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। पुनः जांच के लिए शिक्षार्थी को परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के भीतर सचिव, एनआईओएस के पक्ष में 200/- रूपए प्रति विषय (दो सौ रुपये) के निर्धारित शुल्क के बैंक ड्राफ्ट के साथ आवेदन करना होगा। पुनः मूल्यांकन के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया के बैंक ड्राफ्ट के साथ आवेदन करना होगा।</p>
97.	<p>क्या उत्तर पुस्तिकाओं के पुनःमूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान है?</p> <p>उत्तर: जी हां। उत्तर पुस्तिकाओं का पुनःमूल्यांकन उच्चतर माध्यमिक स्तर पर केवल सिद्धांत के पर्चों में उपलब्ध है। शिक्षार्थी को किसी भी विषय के पुनः मूल्यांकन के लिए परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिनों के भीतर एक सादे कागज पर अथवा निर्धारित प्रोफॉर्म के साथ सचिव, एनआईओएस के पक्ष में और संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र के नगर में देय 500/- रूपए (पाँच सौ रुपये) प्रति विषय (सार्वजनिक परीक्षा के लिए) के बैंक ड्राफ्ट के प्रोसेसिंग शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। पुनः मूल्यांकन के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया के बैंक ड्राफ्ट पर उपलब्ध है।</p>
98.	<p>अनुचित साधन (यूएफएम) क्या हैं ?</p> <p>उत्तर: यूएफएम से तात्पर्य परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना है। अनुचित साधनों के प्रयोग के मामले में फंसे शिक्षार्थी की परीक्षा रद्द कर दी जाती है और उसे भावी परीक्षाओं में बैठने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। यहाँ तक कि उसके प्रवेश को भी रद्द किया जा सकता है।</p>

99.	क्या प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए भी पुनः जांच और पुनः मूल्यांकन आयोजित किए जाते हैं? उत्तर:- जी नहीं। पुनः जांच और पुनः मूल्यांकन केवल सिद्धांत परीक्षाओं में आयोजित किए जाते हैं।
100.	पुनः जांच और पुनः मूल्यांकन का परिणाम कब घोषित होता है? उत्तर:- आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 45 दिनों में।
101.	रोके गए परिणाम वाले मामलों पर कब निर्णय लिया जाता है और उनकी स्थिति कैसे जानी जा सकती है ? उत्तर: मुख्य परिणाम की घोषणा से 40 से 60 दिनों में। निर्णय एनआईओएस वेबसाइट पर दर्शाया जाता है। संबन्धित शिक्षार्थियों को एक पत्र भी भेजा जाता है।
102.	क्या प्रायोगिक परीक्षा में भी विभिन्न रूप से अक्षम शिक्षार्थियों को कोई छूट दी जाती है ? उत्तर:- नहीं। यह केवल सिद्धांत परीक्षा के लिए ही दी जाती है।

vè; k; & 5

मुक्त बेसिक शिक्षा

103.	ओबीई क्या है? उत्तर: मुक्त बेसिक शिक्षा (ओबीई) कार्यक्रम, बीच में ही स्कूल छोड़ चुके बच्चों, नव साक्षरों और स्कूल न जाने वाले शिक्षार्थियों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा है। एनआईओएस तीन स्तरों; स्तर 'ए', स्तर 'बी', और स्तर 'सी' पर बेसिक शिक्षा प्रदान करता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रणाली की क्रमशः कक्षा तीसरी, पाँचवीं और आठवीं के समकक्ष है।
104.	ओबीई के अंतर्गत कौन से पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं? उत्तर: ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों में एक भाषा, गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान शामिल हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया उत्तर सं. 110 देखें।
105.	ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यायित एजेंसियां क्या हैं? उत्तर: ओबीई कार्यक्रम को एनआईओएस द्वारा प्रत्यायित एजेंसियों के सहयोग के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है जो प्रत्यायित एजेंसियों के नाम से जानी जाती है। प्रत्यायित एजेंसियां एनआईओएस के दिशानिर्देशों के अनुसार पाठ्यक्रम उपलब्ध कराती हैं और परीक्षाएं आयोजित करती हैं।
106.	ओबीई के अंतर्गत कौन प्रवेश प्राप्त कर सकता है? उत्तर: ओबीई कार्यक्रम मूल रूप से दो लक्ष्य समूहों के लिए आयोजित किया जा रहा है अर्थात् 1) 6-14 वर्ष की आयु वाले शिक्षार्थी तथा 2) 14 वर्ष से अधिक की आयु वाले शिक्षार्थी। 6 वर्ष से कम की आयु वाले शिक्षार्थियों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया जाता है। बीच में ही स्कूल छोड़ चुके बच्चे, एनएफई कार्यक्रमों को छोड़ चुके बच्चे, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की सतत शिक्षा योजना के नव साक्षर बच्चे, लड़कियाँ और महिलाएं, दर किनार किए गए, अ.जा./अ.ज.जा. गरीबी रेखा से नीचे वाले समूह, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी, स्कूल न जाने वाले बच्चे एवं प्रौढ़ अपनी आयु के आधार पर ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवेश ले सकते हैं।
107.	ओबीई के अंतर्गत अध्ययन की अवधि क्या है? उत्तर: प्रत्येक स्तर क/ख/ग पर अध्ययन अवधि एक वर्ष है।
108.	ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यायन के लिए योग्यता मानदंड क्या है? उत्तर: स्तर क की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए शिक्षार्थी को एक भाषा विषय और तीन अन्य विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसी प्रकार, ओबीई के ख तथा ग के पाठ्यक्रमों के लिए एक भाषा विषय और चार अन्य विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
109.	ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाणपत्र कौन जारी करता है? उत्तर: एनआईओएस और संबंधित प्रत्यायित एजेंसी द्वारा एक संयुक्त प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

110.	ओबीई के अंतर्गत कौन से विषय चलाए जाते हैं?					
	उत्तर: ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित विषय चलाए जाते हैं:					
स्तर 'क'		स्तर 'ख'		स्तर 'ग'		
6 से 14 वर्ष	14 वर्ष से अधिक	6 से 14 वर्ष	14 वर्ष से अधिक	6 से 14 वर्ष	14 वर्ष से अधिक	
◆ एक भाषा ◆ गणित ◆ पर्यावरण अध्ययन ◆ जीवन कौशल	◆ एक भाषा ◆ पर्यावरण अध्ययन (ईवीएस) ◆ गणित ◆ बेसिक कम्प्यूटिंग कौशल ◆ मुक्त व्यावसायिक विषय	◆ एक भाषा ◆ गणित ◆ पर्यावरण अध्ययन (ईवीएस) ◆ जीवन कौशल	◆ एक/दो भाषा ◆ पर्यावरण अध्ययन (ईवीएस) ◆ गणित ◆ बेसिक कम्प्यूटिंग कौशल ◆ मुक्त व्यावसायिक विषय/व्यवसाय-पूर्व पाठ्यक्रम	◆ एक भाषा ◆ गणित ◆ विज्ञान ◆ सामाजिक विज्ञान ◆ बेसिक कम्प्यूटिंग कौशल ◆ मुक्त व्यावसायिक विषय	◆ एक/दो भाषा ◆ विज्ञान ◆ सामाजिक विज्ञान ◆ गणित ◆ बेसिक कम्प्यूटिंग कौशल ◆ मुक्त व्यावसायिक विषय	
<small>*जीवन कौशल में अन्य पाठ्यचयन क्षेत्र शामिल हैं जैसे कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य एवं शिक्षा, शारीरिक विषय के लिए शिक्षा।</small>						
भाषा में हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू या क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, 6-14 वर्ष की आयु समूह के लिए एक व्यावसायपूर्व कौशल पाठ्यक्रम और प्रौढ़ आयु समूह के लिए एक व्यावसायिक विषय अनिवार्य है।						
111.	ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन का समय क्या है?					
	उत्तर: यह पाठ्यक्रम प्रति विषय कम से कम 100 घंटे के अध्ययन समय पर आधारित है। इसमें से 50 घंटे अध्ययन केन्द्र के लिए हैं और 50 घंटे स्व-अध्ययन के लिए हैं।					
	फिर भी, प्राथमिक स्तर के मामले में, जहां बच्चे लक्ष्य समूह हैं, प्रत्यायित एजेंसी (एए) द्वारा अध्ययन के घंटों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है।					
112.	ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत क, ख व ग स्तर की परीक्षाएं कौन आयोजित करता है?					
	उत्तर: परीक्षाओं का आयोजन प्रत्यायित एजेंसी द्वारा किया जाता है। परीक्षा समाप्त होने के बाद, प्रत्यायित एजेंसी संयुक्त प्रमाणपत्रों के मुद्रण के लिए एनआईओएस को परिणाम भेजता है।					

व्यावसायिक शिक्षा

113.	<p>व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है?</p> <p>उत्तर: व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत माध्यमिक स्तर में नामांकन के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष है और उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष है तथा कुछ अन्य विशिष्ट पाठ्यक्रमों में आयु सीमा 18 वर्ष है। कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।</p>
114.	<p>प्रवेश फॉर्म के साथ कौन से अन्य दस्तावेज़ जमा कराने होते हैं?</p> <p>उत्तर: प्रवेश के लिए अपेक्षित दस्तावेजों में मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र, आयु प्रमाण तथा स्थायी पते का प्रमाण शामिल हैं।</p>
115.	<p>एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम की वैधता अवधि क्या है?</p> <p>उत्तर: एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के लिए प्रवेश की वैधता अवधि नामांकन की तिथि से 5 वर्ष है।</p>
116.	<p>व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथियां क्या हैं?</p> <p>उत्तर: इन पाठ्यक्रमों में वर्ष भर प्रवेश चलते रहते हैं। किन्तु परीक्षा के प्रयोजन से योग्यता को विनियमित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसंबर को प्रवेश के लिए अंतिम तिथियां निर्धारित की गई हैं।</p>
117.	<p>पंजीकरण शुल्क में क्या-क्या शामिल है?</p> <p>उत्तर: व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क में पंजीकरण, पहचान पत्र, अध्ययन सामग्री का मूल्य, संपर्क कक्षाओं, प्रयोग प्रशिक्षण आदि का प्रभार शामिल है।</p>
118.	<p>व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अवधि क्या है?</p> <p>उत्तर: व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अवधि पाठ्यक्रम की प्रकृति के आधार पर छह माह से दो वर्ष है।</p>
119.	<p>क्या शिक्षार्थी को कोई अध्ययन सामग्री मिलेगी ?</p> <p>उत्तर: जी हाँ। एनआईओएस द्वारा निर्मित स्व-अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षार्थी को अपनी प्रत्यायित व्यावसायिक संस्था (एवीआई) से अध्ययन सामग्री और पहचान पत्र प्राप्त करना होता है।</p>
120.	<p>शिक्षार्थी प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए कहां जाते हैं?</p> <p>उत्तर: अध्ययन केन्द्र अपने संस्थान में या किसी समीपवर्ती कार्य स्थल में प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।</p>
121.	<p>क्या व्यावसायिक विषयों को शैक्षिक विषयों के साथ संयोजित किया जा सकता है?</p> <p>उत्तर: जी हाँ। व्यावसायिक विषयों को शैक्षिक विषयों के साथ संयोजित किया जा सकता है।</p>
122.	<p>व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रायोगिक और सैद्धांतिक परीक्षाएं कब होती हैं?</p> <p>उत्तर: प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों परीक्षाएं वर्ष में दो बार अर्थात अप्रैल-मई और अक्टूबर-नवंबर में आयोजित की जाती हैं।</p>

123.	प्रायोगिक परीक्षाएं कहां होती हैं? उत्तर: प्रायोगिक परीक्षाएं शिक्षार्थी द्वारा चुनी गई संबंधित एवीआई में ली जाती हैं।
124.	परीक्षा के लिए पंजीकरण कब किया जाता है? उत्तर: अप्रैल-मई की परीक्षा के लिए: 15 जनवरी तक और अक्टूबर-नवंबर की परीक्षा के लिए 15 जुलाई निर्धारक तिथियां हैं।
125.	व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में परीक्षा शुल्क कितना है? उत्तर: व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा शुल्क प्रति माइयूल प्रति विषय 150/- रूपए है। इस शुल्क में सिद्धांत, प्रयोग तथा आंतरिक मूल्यांकन के लिए शुल्क शामिल है।
126.	क्या विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं? उत्तर: जी हां। एनआईओएस अध्ययन में सहायता प्रदान करने के लिए अनेक श्रव्य-दृश्य कार्यक्रमों का निर्माण करता है। एनआईओएस कार्यक्रमों का प्रसारण राष्ट्र भर में प्रत्येक शुक्रवार को प्रातः 5.00 बजे डीडी-। पर तथा प्रतिदिन शाम सायं 6.30 बजे शैक्षिक चैनल ज्ञान दर्शन पर तथा वेब रेडियो (मुक्त विद्या वाणी) पर भी किया जाता है।

अध्याय-7

जब चाहो तब परीक्षा

127.	ओडस क्या है?
	<p>उत्तर: जब चाहो तब परीक्षा प्रणाली (ओडस) एक परीक्षा सुविधा है जो एनआईओएस द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं से अतिरिक्त अन्य परीक्षाओं के लिए अपने शिक्षार्थियों को उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षार्थी प्रथम सार्वजनिक परीक्षा के पश्चात जब भी परीक्षा के लिए तैयार हो, ओडस के अंतर्गत परीक्षा दे सकता है। शिक्षार्थी ओडस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा की तिथि का चयन कर सकता है। ओडस परीक्षाओं का आयोजन सभी क्षेत्रीय केन्द्रों में मासिक आधार पर तथा उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाता है।</p>
128.	जब चाहो तब परीक्षा (ओडीई) परम्परागत सार्वजनिक परीक्षाओं से किसी प्रकार भिन्न है?
	<p>उत्तर: सार्वजनिक परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षा की तिथि निर्धारित करता है और उस तिथि को किसी विषय की परीक्षा होगी, किन्तु ओडीई में शिक्षार्थी निर्णय करता है कि उसे किस तिथि को परीक्षा देनी है और वह उस तिथि को किसी विषय की परीक्षा देना चाहता है।</p>
129.	क्या एक व्यक्ति जो एनआईओएस में शिक्षार्थी के रूप में पंजीकृत नहीं है, वह ओडीई में परीक्षा दे सकता है?
	<p>उत्तर: जी नहीं। यदि आप माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एनआईओएस में पंजीकृत हैं तो आपके पास ओडीई के तहत परीक्षा देने का विकल्प उपलब्ध होगा। तथापि, स्ट्रीम-III तथा स्ट्रीम- IV के अंतर्गत, आप ओडीई के लिए सीधे से पंजीकृत करा सकते हैं।</p>
130.	ओडीई के अंतर्गत कौन से विषय उपलब्ध हैं?
	<p>उत्तर: माध्यमिक पाठ्यक्रम (13 विषय); हिन्दी (201), अंग्रेजी (202), संस्कृत (209), गणित (211), विज्ञान एवं प्रैदौगिकी (212), सामाजिक ज्ञान (213), अर्थशास्त्र (214), व्यवसाय अध्ययन (215), गृह विज्ञान (216), वर्ड प्रोसेसिंग (219), मनोविज्ञान (222), भारतीय संस्कृति और परम्परा (223) और चित्रकला (225)।</p> <p>उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम (19 विषय); हिन्दी (301), अँग्रेजी (302), संस्कृत (309), गणित (311), भौतिकी (312), रसायन शास्त्र (313), जीव विज्ञान (314), इतिहास (315), भूगोल (316), राजनीति विज्ञान (317), अर्थशास्त्र (318), व्यवसाय अध्ययन (319), लेखांकन (320), गृह विज्ञान (321), मनोविज्ञान (328), समाज शास्त्र (331), चित्रकला(332), पर्यावरण विज्ञान (333) तथा डॉटा एंट्री कार्य (336)।</p>
131.	क्या ओडीई की उत्तर पुस्तिका का पुनः मूल्यांकन किया जा सकता है ?
	<p>उत्तर: जी हाँ। ओडीई उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन केवल उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ही उपलब्ध है। शिक्षार्थी को परीक्षा परिणाम की घोषणा के दिन से 15 दिनों के भीतर किसी विषय के पुनः मूल्यांकन के लिए एक सादे कागज पर अथवा एक निर्धारित प्रोफॉर्मा पर सचिव, एनआईओएस के पक्ष में और संबंधित क्षेत्रीय केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक को देय रु. 700/- प्रति विषय के बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। पुनः मूल्यांकन केवल सिद्धांत पर्चों का ही किया जा सकता है।</p>
132.	क्या ओडीई की अंक तालिका एनआईओएस की सार्वजनिक परीक्षा से भिन्न होगी?
	<p>उत्तर: जी नहीं, ओडीई की अंक तालिका एनआईओएस की सार्वजनिक परीक्षा से भिन्न नहीं होगी। यह उसके समान ही है।</p>
133.	क्या एक शिक्षार्थी एक माह में एक विषय में एक से अधिक बार ओडीई में परीक्षा दे सकता है?
	<p>उत्तर: जी नहीं। शिक्षार्थी एक महीने में दो बार एक ही विषय में ओडीई की परीक्षा नहीं दे सकता है।</p>

134.	<p>जब चाहो तब परीक्षा में बैठने का शुल्क क्या है?</p> <p>उत्तरः सिद्धांत परीक्षा के लिए प्रति विषय 250/- रुपए और प्रायोगिक परीक्षा के लिए प्रति विषय 100/- रुपए (केवल सौ रुपए) के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।</p>
135.	<p>क्या मैं जब चाहो तब परीक्षा के माध्यम से दो विषय तथा सार्वजनिक परीक्षाओं के माध्यम से तीन विषयों की परीक्षा दे सकता हूँ?</p> <p>उत्तरः जी हाँ, आप अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहो तब परीक्षा और सार्वजनिक परीक्षा के लिए विषयों का चयन कर सकते हैं।</p>
136.	<p>मैं राज्य बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हूँ। क्या मैं ओडीई के माध्यम से पांच विषयों की परीक्षा दे कर प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता हूँ?</p> <p>उत्तरः जी नहीं, आपके चार विषयों तक ही 'आंशिक प्रवेश' की अनुमति दी जाएगी। आपको केवल अंक तालिका प्रदान की जाएगी। आपको कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।</p>
137.	<p>मैं सीबीएससी से तीन विषय उत्तीर्ण हूँ क्या मैं एनआईओएस के ओडीई के माध्यम से शेष दो विषयों में परीक्षा देकर प्रमाणपत्र कर सकता हूँ?</p> <p>उत्तरः जी नहीं। आप सीबीएसई से एनआईओएस में दो उत्तीर्ण विषयों के लिए क्रेडिट स्थानांतरण के विकल्प चुन सकते हैं और शेष तीन विषयों की परीक्षा दे सकते हैं ताकि इन्हें सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर आपको एनआईओएस से प्रमाणपत्र प्राप्त हो सकें।</p>
138.	<p>ओडीई के लिए पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है?</p> <p>उत्तरः जब चाहो तब परीक्षा हेतु पंजीकरण केवल www.nios.ac.in वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है।</p>
139.	<p>ओडी परीक्षा फार्म को कहाँ जमा कराया जाता है?</p> <p>उत्तरः ओडी परीक्षा फार्म और अपेक्षित परीक्षा शुल्क (यदि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा किया गया है) एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र में जमा कराया जाता है।</p>
140.	<p>क्या मुझे ओडी परीक्षाओं में प्रश्न-पत्र क्षेत्रीय भाषा में प्राप्त हो सकते हैं?</p> <p>उत्तरः जी नहीं। ओडीई में प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में ही उपलब्ध हैं।</p>
141.	<p>यदि मैंने जून माह में सभी विषयों की परीक्षा देकर उन्हें सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है तो मेरी परीक्षा का वर्ष क्या होगा ?</p> <p>उत्तरः अंक तालिका और प्रत्यायन के उद्देश्य से, मई से अक्टूबर के दौरान परीक्षा में बैठने वाले सभी शिक्षार्थियों को उस वर्ष की अप्रैल परीक्षा के अंतर्गत माना जाएगा। और नवम्बर से अप्रैल के दौरान परीक्षा देने वाले सभी शिक्षार्थियों को पूर्वर्ती अक्टूबर परीक्षा के अंतर्गत माना जाएगा।</p>
142.	<p>मैंने राज्य बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा पास की है। क्या मैं सीधे ओडीई के माध्यम से उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएं देकर प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता हूँ?</p> <p>उत्तरः जी नहीं। स्ट्रीम-IV के अंतर्गत जब चाहो तब परीक्षा केवल उन शिक्षार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने पहले ही किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक या उच्चतर परीक्षा पास की है और अपनी योग्यता को अद्यतन करने के लिए एक विषय या अधिकतम 4 विषयों में आंशिक प्रवेश करना चाहते हैं या जो शिक्षार्थी योग्य थे किन्तु समान विषय संयोजन में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक स्तर की सार्वजनिक परीक्षा में भाग नहीं ले सके और अब उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एनआईओएस की जब चाहो तब परीक्षा प्रणाली के माध्यम से परीक्षा देना चाहते हैं।</p>
143.	<p>ओडी परीक्षाओं में प्रायोगिक परीक्षा कब और कहाँ आयोजित की जाती हैं?</p> <p>उत्तरः ओडी परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रायोगिक परीक्षाएं एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा निर्धारित स्थल के अनुसार उसी सप्ताह आयोजित की जाती हैं जिस सप्ताह शिक्षार्थी ने सिद्धांत की परीक्षाएं दी हैं।</p>

144.	जब चाहो तब परीक्षा में मुझे अंक तालिका किस प्रकार प्राप्त होगी? उत्तरः यदि आपने प्रमाणपत्र के लिए सभी विषय उत्तीर्ण कर लिए हैं तो आप समग्र परीक्षा के लिए संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र से ओडीई की अंक तालिका प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो, इसे निर्धारित शुल्क के साथ लिखित निवेदन पर ही लिया जा सकता है।
145.	क्या मैं, ‘जब चाहो तब परीक्षा’ के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकता हूं? उत्तरः जी नहीं। पंजीकरण प्रक्रिया केवल ऑनलाइन माध्यम से ही की जाती है।
146.	‘जब चाहो तब परीक्षा’ के दिन और समय क्या हैं? उत्तरः ये परीक्षाएं मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार (दिल्ली, क्षेत्रीय केंद्र को छोड़कर सभी क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए) सायं 2.00 बजे से 5.00 तक और क्षेत्रीय केंद्र, दिल्ली ए-31, सेक्टर-62, नोएडा में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार को सायं 2.00 बजे से 5.00 तक आयोजित की जाती हैं।

अध्याय - 8

आईसीटी एवं मीडिया सहायता

<p>147. एनआईओएस का हैल्पबलाइन नंबर क्या है?</p>
<p>उत्तर: एनआईओएस का हैल्पबलाइन नंबर है 18001809393</p> <p>“यह एक कॉल -प्रयोगकर्ता अनुकूल शिक्षार्थी सहायता केन्द्र” है जिसके माध्यम से कॉलर सुबह 9.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक कार्यकारी के साथ बातचीत द्वारा तथा शाम 5.30 बजे से सुबह 9.30 बजे तक आईवीआरएस के माध्यम से एनआईओएस के विषय में सभी जानकारी कर सकता है।</p>
<p>148. क्या कोई ईमेल पता भी उपलब्ध है जहां शिक्षार्थी एनआईओएस से सीधा संपर्क कर सके?</p>
<p>उत्तर: जी हां, क्षेत्रीय केन्द्रों के ईमेल आईडी के अतिरिक्त, शिक्षार्थी Isc@nios.ac.in पर एनआईओएस से संपर्क कर सकता है।</p>
<p>149. क्या मैं एनआईओएस की ऑनलाइन पाठ्य सामग्री प्राप्त कर सकता हूं?</p>
<p>उत्तर: जी हां, आप www.nios.ac.in पर उपलब्ध एनआईओएस की ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। आप इस सामग्री को एनआईओएस की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।</p>
<p>150. एनआईओएस की वेबसाइट के माध्यम से शिक्षार्थियों को कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं?</p>
<p>उत्तर: ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षार्थियों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ऑनलाइन प्रवेश ii. परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा कराना iii. ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री टीएमए, पीसीपी समय सारिणी, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र प्राप्त करना iv. पाठ्यक्रम सामग्री, पहचान पत्रों, अंकतालिकाओं और प्रमाणपत्रों के प्रेषण की स्थिति जानना v. एनआईओएस के पुस्तकालय में उपलब्ध, पुस्तकें, जर्नल तथा पत्रिकाएं। vi. एनआईओएस की वेबसाइट से हर प्रकार के फॉर्मों को डाउनलोड किया जा सकता है। vii. शिक्षार्थियों, एनआईओएस में उपलब्ध अध्ययन केन्द्रों, क्षेत्रीय केन्द्रों, पाठ्यक्रमों आदि संबंधी जानकारी। viii. परिणामा/सूचना (हॉल टिकट) ix. डाउनलोड/प्रमाणपत्रों का सत्यापन x. ऑन-डिमांड परीक्षा का पंजीकरण।
<p>151. राष्ट्रीय चैनल-डीडी-1 में एनआईओएस कार्यक्रम के प्रसारण का समय क्या है?</p>
<p>उत्तर: डीडी-1 में एनआईओएस कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार सुबह 05.02 बजे से 05.25 बजे तक होता है।</p>
<p>152. ज्ञानदर्शन चैनल में एनआईओएस कार्यक्रम के प्रसारण का समय क्या है?</p>
<p>उत्तर: ज्ञानदर्शन पर एनआईओएस कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन शाम 6.30 बजे से शाम 7.00 बजे तक होता है।</p>

153.	<p>एफएम चैनल-ज्ञान वाणी में एनआईओएस कार्यक्रम का प्रसारण समय क्या है?</p> <p>उत्तर: ज्ञानवाणी - 105.6 मेगा हर्ट्ज एफएम चैनल पर प्रत्यक्ष के शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह 8.30 बजे से सुबह 9.00 बजे तक एनआईओएस कार्यक्रम का प्रसारण होता है और इसी कार्यक्रम का पुनःप्रसारण शाम 3.30 से 4.00 तक किया जाता है।</p>
154.	<p>शिक्षार्थी को आवंटित एआई में उसे कौन-कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं?</p> <p>उत्तर: प्रवेश के समय शिक्षार्थी द्वारा चयनित एआई (अर्थात् अध्ययन केन्द्र) बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराता है</p> <ul style="list-style-type: none"> (क) निर्धारित मूल्य पर विवरणिका जारी करना। (ख) परीक्षा फार्म और परीक्षा शुल्क स्वीकार करना। (ग) एनआईओएस के मानदंडों के अनुसार 30 पीसीपी आयोजित करना और एनआईओएस द्वारा निर्धारित अनुसार प्रायोगिक सत्र का आयोजन करना। (घ) अनुशिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य का मूल्यांकन (ङ) पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याओं/प्रश्नों के समाधान के लिए परामर्श करना। (च) विषय (विषयों) में परिवर्तन या अतिरिक्त विषयों के लिए आवेदन स्वीकार करना व उसे एनआईओएस के क्षेत्रीय केन्द्र को भेजना। (छ) शुल्क के भुगतान की तिथियां, परीक्षा की तिथियां, परीक्षा केन्द्र तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराना। (ज) सार्वजनिक परीक्षाओं के परिणामों को दर्शाना।
155.	<p>मुक्त विद्या वाणी क्या है ?</p> <p>उत्तर: मुक्त विद्या वाणी एक वेब आधारित अंत-क्रियात्मक ऑनलाइन व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम है।</p>
156.	<p>मुक्त विद्या वाणी की समय सारिणी क्या है ?</p> <p>उत्तर: मुक्त विद्या वाणी -पीसीपी कार्य दिवसों में सायं 2.00-5.00 बजे लाइव आरंभ होता है और शनिवार और रविवार को प्रातः 10.30 से 12.00 बजे तक प्रसारित होता है।</p>
157.	<p>क्या मैं मुक्त विद्या वाणी पर प्रश्न पूछ सकता हूँ। यदि हाँ, संपर्क नंबर क्या हैं?</p> <p>उत्तर : जी हाँ। आप 18001802543 (टॉल फ्री) और 0120-4626949 पर कॉल कर सकते हैं।</p>
158.	<p>क्या मैं वीडियो कार्यक्रम की डीवीडी खरीद सकता हूँ ?</p> <p>उत्तर: जी हाँ। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर गणित विषय के वीडियो कार्यक्रम 100/- रु प्रति डीवीडी विक्रय के लिए उपलब्ध हैं। और अधिक विवरण के लिए 0120-4089898 पर संपर्क करें अथवा jdmedia@nios.ac.in पर ई-मेल करें।</p>

अध्याय - 9

प्रत्यायन

159.	एनआईओएस द्वारा किस प्रकार की संस्थाओं को प्रत्यायित किया जाता है?
	उत्तरः एनआईओएस उन संस्थाओं को प्रत्यायन प्रदान करता है जो एनआईओएस के मुक्त बेसिक शिक्षा (ओबीसी) कार्यक्रम, व्यावसायिक कार्यक्रमों तथा शैक्षिक कार्यक्रमों को चलाना चाहते हैं।
160.	ओबीई कार्यक्रम चलाने के लिए एनआईओएस से प्रत्यायन प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के लिए योग्यता मानदंड क्या हैं?
	उत्तरः शिक्षा के क्षेत्र में कोई एनजीओ/पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट जिसे तीन वर्ष का अनुभव हो, वह ओबीई कार्यक्रम प्रदान करने के लिए एनआईओएस का अध्ययन केन्द्र बनने हेतु आवेदन कर सकता है। ओबीई कार्यक्रम चलाने वाले अध्ययन केन्द्र प्रत्यायित एजेंसियां (एए) कहलाते हैं।
161.	व्यावसायिक कार्यक्रम चलाने के लिए एनआईओएस से प्रत्यायन प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के लिए योग्यता मानदंड क्या हैं?
	उत्तरः व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई एनजीओ/पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट जिसे तीन वर्ष का अनुभव हो वह व्यावसायिक कार्यक्रम प्रदान करने के लिए एनआईओएस का अध्ययन केन्द्र बनने हेतु आवेदन कर सकता है। व्यावसायिक कार्यक्रम चलाने वाले अध्ययन केन्द्रों को प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थान (एवीआई) के नाम से जाना जाता है।
162.	शैक्षिक कार्यक्रम चलाने के लिए एनआईओएस द्वारा प्रत्यायन प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के लिए योग्यता मानदंड क्या हैं?
	उत्तरः किसी राष्ट्रीय/राज्य बोर्ड से संबद्धता रखने वाला कोई स्कूल, शैक्षिक कार्यक्रमों यथा कक्षा X तथा कक्षा XII की शिक्षा प्रदान करने के लिए, एनआईओएस के अध्ययन केन्द्र के लिए, आवेदन कर सकता है। शैक्षिक कार्यक्रमों को चलाने वाले अध्ययन केन्द्रों को प्रत्यायित संस्था (एआई) के नाम से जाना जाता है।
163.	प्रत्यायन के लिए कितना शुल्क अपेक्षित है?
	उत्तरः प्रत्यायन शुल्क 5000/- रुपए है जिसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाता है अर्थात् 4000/- रुपए और 1000/- रुपए का बैंक ड्राफ्ट जो सचिव एनआईओएस के पक्ष में हो और एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र पर देय हो।
164.	प्रत्यायन के लिए आवेदन किस प्रकार किया जाता है?
	उत्तरः एनआईओएस से प्रत्यायन प्राप्त करने के इच्छुक संस्थान एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन एनआईओएस की वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। संस्थान वांछित विवरण ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं और तत्पश्चात कम्प्यूटर से उसका प्रिंटआउट प्राप्त करके उसे वांछित दस्तावेजों और प्रोसेसिंग शुल्क सहित संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र को भेज सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, इच्छुक संस्थान वेबसाइट से आवेदन का प्रिंटआउट प्राप्त कर सकता है या एनआईओएस के क्षेत्रीय केन्द्र या मुख्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकता है। आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात अपेक्षित कार्रवाई की जानी चाहिए जैसा कि ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में अपेक्षित है।

165.	क्या विदेश में स्थित संस्थान एनआईओएस द्वारा प्रत्यायन के लिए आवेदन कर सकता है? उत्तर: जी हाँ, वह संस्थान अपेक्षित शुल्क सहित संबंधित भारतीय दूतावास के माध्यम से निर्धारित फॉर्म में आवेदन कर सकता है।
166.	प्रत्यायन के लिए आवेदन को किस प्रते पर भेजना होता है? उत्तर: प्रत्यायन प्राप्त करने के इच्छुक संस्थान को संबंधित क्षेत्रीय केन्द्रों में अपना आवेदन भेजना होता है। तथापि, यदि आवेदक संस्थान सीबीएसई से संबद्ध है और विदेश में स्थित है तो आवेदन को निदेशक (विद्यार्थी सहायता सेवाएँ), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, ए-24/25, सेक्टर-62, नोएडा के पास भेजा जाएगा।
167.	सीबीएसई संबद्ध स्कूल प्रत्यायन के लिए किसी प्रकार आवेदन कर सकता है? उत्तर: सीबीएसई संबद्ध स्कूल द्वारा प्रत्यायन के लिए आवेदन की प्रक्रिया वही है जो किसी अन्य संस्थान द्वारा आवेदन किए जाने के लिए है। तथापि, वे अपना आवेदन निदेशक (विद्यार्थी सहायता सेवाएँ), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नोएडा, ए-24/25, सेक्टर-62, नोएडा को भेजेंगे। इसके अतिरिक्त, एनआईओएस द्वारा सीबीएसई संबद्ध विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से संबद्धता के कड़े नियमों का अनुपालन करते हैं।
168.	यदि एक स्कूल किसी बोर्ड से माध्यमिक स्तर तक संबद्ध है तो क्या एनआईओएस उसे उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए प्रत्यायन प्रदान कर सकता है? उत्तर: जी नहीं, एनआईओएस आवेदनकर्ता संस्थानों को केवल उसी कक्षा के लिए प्रत्यायन प्रदान कर सकता है जिसके लिए वह अपने मूल बोर्ड से संबद्ध है। इसका अर्थ है कि यदि एक स्कूल अपने मूल बोर्ड के साथ माध्यमिक स्तर तक के लिए संबद्ध है तो एनआईओएस उसे केवल माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के लिए प्रत्यायन प्रदान करेगा।
169.	एक स्कूल जो अपने मूल बोर्ड के शिक्षार्थियों को विज्ञान विषय उपलब्ध नहीं करा रहा है, क्या वह एनआईओएस में विज्ञान विषय उपलब्ध करा सकता है? उत्तर: जी नहीं, एनआईओएस केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्यायन प्रदान कर सकता है जिनके लिए वह विद्यालय अपने मूल बोर्ड के साथ संबद्ध है।
170.	आवेदक संस्था को कितने शिक्षार्थियों के लिए एनआईओएस द्वारा प्रत्यायन प्रदान किया जाता है? उत्तर: आवेदक संस्था में उपलब्ध संरचनात्मक सुविधाओं के आधार पर शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए 150 (श्रेणी ग), 300 (श्रेणी ख) तथा 500 (श्रेणी क) के लिए प्रत्यायन दिया जाता है।
171.	एक संस्था को दिए गए प्रत्यायन की वैधता अवधि क्या है? उत्तर: एक संस्थान को अस्थाई (Provisional) आधार पर प्रत्यायन प्रदान किया जाता है जिसका नवीकरण समय-समय पर किया जाता है।
172.	यदि, एनआईओएस के अध्ययन केंद्र से उसका मूल बोर्ड उसकी संबद्धता वापस ले लेता है तो क्या एनआईओएस अपने प्रत्यायन को जारी रखेगा? उत्तर : जी नहीं, यदि संबद्धता प्रदान करने वाला बोर्ड उसकी संबद्धता वापस ले लेता है तो एनआईओएस का प्रत्यायन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यह अध्ययन केन्द्र के समन्वयिक का उत्तरदायित्व है कि वह इसकी सूचना एनआईओएस को दे और एनआईओएस के नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करे।
173.	यदि एनआईओएस द्वारा प्रत्यायन को वापस लिया जाता है तो, इस अध्ययन केन्द्र में पंजीकृत शिक्षार्थियों का भावी परिवृत्त्य क्या होगा ? उत्तर: यदि एनआईओएस द्वारा प्रत्यायन वापस ले लिया जाता है तो उस अध्ययन केन्द्र में पंजीकृत शिक्षार्थियों को समीपवर्ती अध्ययन केन्द्र में स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

अध्याय-10

एनआईओएस एवं अल्पसंख्यक शिक्षा

<p>174. क्या एनआईओएस में अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कोई विशेष व्यवस्था है?</p> <p>उत्तरः मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी विभागों और स्वायत्त निकायों में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ स्थापित करने के भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, एनआईओएस ने अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक आवश्कताओं पर विशेष ध्यान देने के लिए अपने विद्यार्थी सहायता सेवाएँ विभाग में वर्ष 2006 में एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की स्थापना की है।</p>
<p>175. अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, एनआईओएस के उद्देश्य क्या हैं?</p> <p>उत्तरः अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का उद्देश्य मौजूदा अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित करके विशेष प्रसार कार्यक्रमों द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय में एनआईओएस के कार्यक्रमों और नीतियों को पहुंचाना और उसके प्रभाव में वृद्धि करना है।</p>
<p>176. एनआईओएस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के क्या कार्य हैं?</p> <p>उत्तरः अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के निम्नालिखित कार्य हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ अल्पसंख्यक समुदायों में एनआईओएस कार्यक्रमों और नीतियों की पहुंच और प्रयोग में विस्तार लाना। ❖ मौजूदा अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित करके सक्रिय प्रसार कार्यक्रम करना। ❖ मदरसों/दार-उलूम को मान्यता प्रदान करना और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा के साथ जोड़ना। ❖ अल्पसंख्यक संस्थाओं के संवर्धन के लिए प्रसार कार्यक्रमों/अनुकूलन कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन करना। ❖ पात्र संस्थानों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण दलों का गठन करना। ❖ निरीक्षण दलों और क्षेत्रीय केन्द्रों से निरीक्षण रिपोर्ट एकत्र करना। ❖ निरीक्षण रिपोर्ट की संस्तुतियों को अंतिम रूप देने के लिए प्रत्यायन सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित करना। ❖ नए प्रत्यायित शैक्षिक, व्यावसायिक और मुक्त बेसिक शिक्षा अल्पसंख्यक संस्थानों के संबंध में अधिसूचना जारी करना। ❖ एसपीक्यूइएम के अंतर्गत आने वाले एनआईओएस के प्रत्यायित केन्द्रों से शिक्षार्थियों के आंकड़े एकत्र करना और दावों के प्रयोजन से उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजना।
<p>177. एनआईओएस द्वारा अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए क्या प्रयास उठाए गए हैं?</p> <p>उत्तरः पहुंच, समानता और गुणवत्ता एनआईओएस कार्यक्रमों और गतिविधियों की पहचान हैं। यह विशेषता एनआईओएस द्वारा चलाये जा रहे सभी पाठ्यक्रमों प्राप्त कार्यक्रमों में भी झलकती है। हालांकि एनआईओएस के पाठ्यक्रम/कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों के लिए हैं, किन्तु एनआईओएस इनमें अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), अल्पसंख्यक समूह (मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, जैन, बौद्ध), लड़कियों व महिलाओं, भिन्न रूप से सक्षम, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोगों और भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता प्रदान करता है।</p>

178.	<p>एनआईओएस द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को कौन सी विशेष रियायतें प्रदान की जाती हैं?</p> <p>उत्तर: मुस्लिम अल्पसंख्यकों को गुणवत्तपूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मदरसों को प्रत्यायन प्रदान करने के लिए एनआईओएस द्वारा अनेक रियायतें प्रदान की गई हैं। कुछ प्रमुख रियायतें निम्नानुसार हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ एनआईओएस ने दिनांक 12.04.2014 के परिपत्र सं. एनआईओएस/सचिव/एसएसएस/2010 के तहत मदरसों और मकतबों को 5000/- रूपए के प्रत्यायन शुल्क का भुगतान करने पर छूट प्रदान की है और प्रत्यायन के नियमों में रियायत प्रदान की है। ◆ एसपीक्यूइंडेम योजना को लागू करने के लिए, दिनांक 30.11.2010 को परिपत्र सं. एनआईओएस/सचिव/57वार्षिकी/2010 जारी किया गया है जिसमें एनआईओएस पाठ्यक्रमों में मदरसों के माध्यम से नामांकित मुस्लिम शिक्षार्थियों को शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई है। ◆ अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए प्रत्यायन नियमों में भी छूट प्रदान की गई है। ◆ मदरसों के लिए निरीक्षण समिति में अल्पसंख्यक समुदाय के एक विशेषज्ञ को भी शामिल किया गया है। ◆ विभिन्न राज्य मदरसा शिक्षा बोर्डों द्वारा प्रदान किए जा रहे फोकानिया और मौलवी पाठ्यक्रमों को एनआईओएस द्वारा चलाये जा रहे क्रमशः माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों के समकक्ष अधिसूचित किया गया है। ◆ एसपीक्यूइंडेम योजना के अंतर्गत, मदरसे/मकतब/दार-उल-उलूम माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर के कार्यक्रम चलाने के लिए एनआईओएस के प्रत्यायित अध्ययन केन्द्र बन सकते हैं। मदरसे जो पिछले तीन वर्षों से अस्तित्व में हैं और केन्द्र या राज्य सरकार अधिनियमों या मदरसा बोर्डों या वक्फर बोर्ड या एनआईओएस के अंतर्गत पंजीकृत हैं, वे इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। चूंकि यहां केवल आठ मदरसा बोर्ड हैं इसलिए अन्य राज्यों के मदरसों को जहां मदरसा बोर्ड नहीं है यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, अनुदान सहायता समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एनसीएमईआई द्वारा जिन संस्थानों को अल्पसंख्यनक दर्जा प्रदान किया गया है उन्हें भी प्रत्यायन प्रदान किया जाएगा। ◆ बेहतर समझ प्रदान करने के लिए उर्दू माध्यम उपलब्ध कराया गया है। ◆ निर्देशों के बेहतर संप्रेषण के लिए विवरणिका उर्दू भाषा में मुद्रित की गयी है। ◆ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का विवरण एनआईओएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस खंड में प्रत्यायन स्थिति, बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न आदि के विषय में सभी महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध है। ◆ सभी महत्वपूर्ण सूचनाएँ उर्दू समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती हैं। ◆ अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रत्यायन की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए विशेष प्रत्यायन सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन करना। ◆ आवेदक संस्थाओं/मदरसों को अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रत्यायन की स्थिति को वेबसाइट पर दिया जाता है। ◆ शिक्षार्थियों और संस्थाओं के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न वेबसाइट पर दिये गए हैं। ◆ एनसीएमईआई द्वारा जिन मदरसों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है उनकी प्रोसेसिंग फीस को समाप्त करने के लिए दिनांक 26.03.2013 को अधिसूचना सं. एफ-24/10-4/एनआईओएस/एसएसएस-एमसेल/एसपीक्यूइंडेम भी जारी किया गया है। ◆ मदरसा के शिक्षार्थियों के मामले में ऑफलाईन फार्मों की प्रक्रिया में लगाने वाले समय, संभवतः जिसके कारण अध्ययन सामग्री की आपूर्ति देर से होती है, को ध्यान में रखते हुए एनआईओएस ने उनके मदरसों के माध्यम से ऐसे शिक्षार्थियों को अध्ययन सामग्री की आपूर्ति का निर्णय लिया है और साथ ही मदरसों को यह निर्देश दिया है कि वे इस अध्ययन सामग्री को पंजीकृत शिक्षार्थियों को सौंप दें। इस संबंध में दिनांक 24.12.2013 की अधिसूचना सं. 26.3/एनआईओएस/एसएसएस/पीए जारी की गई
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

179.	<p>एसपीक्यूइंएम में एनआईओएस क्या भूमिका अदा कर रहा है?</p> <p>उत्तर: एनआईओएस के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 26 फरवरी 2009 को मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूइंएम) आरंभ की गई थी। एसपीक्यूइंएम की केन्द्रीय अनुदान सहायता समिति की पहली बैठक वर्ष 2010-11 में सचिव, एसई एंड एल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी जिसमें एसपीक्यूइंएम कार्यक्रम पर एनआईओएस के योगदान से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई और सैद्धांतिक रूप से निम्नलिखित बातों पर सहमति व्यक्त की गई:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ एनआईओएस अपनी प्रत्यायित संस्थाओं के रूप में मदरसों को तब प्रत्यायन प्रदान करेंगे जब मदरसे राज्य मदरसा बोर्ड/राज्य के वक्फ बोर्ड से मान्यता के होंगे और उनके पास दसवीं और बारहवीं के स्तरसर पर एनआईओएस के पाठ्यक्रमों के संचालन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ◆ एनआईओएस के निर्णय के अनुसार इन मदरसों से एकमुश्तर प्रत्यायन शुल्के नहीं लिया जाएगा। ◆ एनआईओएस उन मदरसों के माध्यम से नामांकित शिक्षार्थियों से किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क या परीक्षा शुल्क नहीं लेगा। एनआईओएस इस पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु एनआईओएस के दो भिन्न चक्रों में वर्ष में दो बार मानव संसाधन मंत्रालय से प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करेगा।
180.	<p>एनआईओएस द्वारा किसी प्रकार के संस्थानों को प्रत्यायित किया जाता है?</p> <p>उत्तर: एनआईओएस उन संस्थानों को प्रत्यायन प्रदान करता है जो एनआईओएस मुक्त बेसिक शिक्षा (ओबीई) कार्यक्रम, व्यावसायिक कार्यक्रम तथा शैक्षिक कार्यक्रम चलाना चाहते हैं।</p>
181.	<p>ओबीई कार्यक्रम चलाने के लिए एनआईओएस से प्रत्यायन प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के लिए योग्यता मानदंड क्या हैं?</p> <p>उत्तर: शिक्षा के क्षेत्र में कोई एनजीओ/पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट जिसे तीन वर्ष का अनुभव हो वह ओबीई कार्यक्रम प्रदान करने के लिए एनआईओएस का अध्ययन केन्द्र बनने हेतु आवेदन कर सकता है। ओबीई कार्यक्रम चलाने वाले अध्ययन केन्द्रों को प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थान (एवीआई) के नाम से जाना जाता है।</p>
182.	<p>व्यावसायिक कार्यक्रम चलाने के लिए एनआईओएस द्वारा प्रत्यायन प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के लिए योग्यता मानदंड क्या हैं?</p> <p>उत्तर: व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई एनजीओ/पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट जिसे तीन वर्ष का अनुभव हो वह व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने के लिए एनआईओएस का अध्ययन केन्द्र बनने हेतु आवेदन कर सकता है। व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले अध्ययन केन्द्रों को प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थान (एवीआई) के नाम से जाना जाता है।</p>
183.	<p>शैक्षिक कार्यक्रम चलाने के लिए एनआईओएस द्वारा प्रत्यायन प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के लिए योग्यता मानदंड क्या हैं?</p> <p>उत्तर: किसी राष्ट्रीय/राज्य बोर्ड से संबद्ध कोई स्कूल शैक्षिक कार्यक्रमों यथा कक्षा X तथा कक्षा XII की शिक्षा प्रदान करने के लिए एनआईओएस के अध्ययन केन्द्र के लिए आवेदन कर सकता है। शैक्षिक कार्यक्रमों को चलाने वाले अध्ययन केन्द्रों को प्रत्यायित संस्थान (एआई) के नाम से जाना जाता है।</p>
184.	<p>क्या एनआईओएस मदरसों को भी प्रत्यायन प्रदान करता है?</p> <p>उत्तर: जी हाँ। एनआईओएस मदरसों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना के तहत प्रत्यायन प्रदान कर रहा है।</p>
185.	<p>एनआईओएस से प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए मदरसों के लिए योग्यता मानदंड क्या हैं?</p> <p>उत्तर: एसपीक्यूइंएम योजना के अंतर्गत, मदरसे/मकतब/दर-उल-उलूम माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर के कार्यक्रम चलाने के लिए एनआईओएस के प्रत्यायित अध्ययन केन्द्र बन सकते हैं।</p>

	<p>(i) मदरसे जो पिछले तीन वर्षों से अस्तित्व में हैं और केन्द्र या राज्य सरकार अधिनियमों या मदरसा बोर्डों या वक्फ बोर्डों या एनआईओएस के अंतर्गत पंजीकृत हैं, वे इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन के पात्र हैं।</p> <p>(ii) चूंकि यहां केवल आठ मदरसा बोर्ड हैं इसलिए अन्य राज्यों के मदरसों को जहां मदरसा बोर्ड नहीं है, यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुदान सहायता समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एनसीएमईआई द्वारा जिन संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया गया है उन्हें भी प्रत्यायन प्रदान किया जाएगा।</p> <p>(iii) इसके अतिरिक्त निम्नलिखित को पूरा करने वाले मदरसों के प्रत्यायन पर भी विचार किया जाएगा:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (क) मदरसे/दरूल-उलम जिनकी स्वतंत्र पहचान है और वे मौलवी, आज़मी और फैज़िल पाठ्यक्रम चला रहे हैं। (ख) जिनके पास आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। (ग) जो तीन वर्ष पुराने पंजीकृत सोसाइटी या ट्रस्ट हैं। (घ) अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए एनआईओएस द्वारा निर्धारित एनआईओएस के पाठ्यक्रम चलाने के लिए न्यूनतम संरचनागत सुविधाएं हो (जैसे प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि) किन्तु कक्षाओं की बाँछित संख्याए सामान्य श्रेणी की संस्थाओं के लिए निर्धारित संख्या से 50% हो सकती है। (ड) इसके पाठ्यक्रम उच्च तर अध्ययन के लिए अन्य संस्थानों से मान्यता प्राप्त हो।
186.	<p>मदरसों सहित अल्पसंख्यक संस्थाओं को प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए आवेदन किस पते पर भेजना होगा?</p> <p>उत्तर: आवेदन निदेशक (विद्यार्थी सहायता सेवाएँ), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, ए-24/25, सेक्टर-62, नोएडा को भेजना होगा।</p>

अध्याय-11

क्षेत्रीय केन्द्रों एवं अध्ययन केन्द्रों में सहायता सेवाएँ

187.	एआई क्या है। उत्तर: प्रत्यायित संस्थाएं (एआई) या अध्ययन केन्द्र वे संस्था/स्कूल हैं जिन्हें विद्यार्थी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए एनआईओएस द्वारा प्राधिकृत किया गया है।
188.	एआई द्वारा कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? उत्तर: प्रत्यायित संस्था शिक्षार्थियों को प्रवेश, परीक्षा तथा अध्ययन सामग्री आदि से संबंधित निम्नलिखित सहायता उपलब्ध कराते हैं। साथ ही एनआईओएस के नियमों के अनुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) का आयोजन भी एआई के द्वारा कराया जाता है : <ul style="list-style-type: none"> (क) निर्धारित मूल्या पर विवरणिका जारी करना। (ख) एनआईओएस के मानदंडों के अनुसार 30 पीसीपी आयोजित करना और एनआईओएस द्वारा निर्धारित अनुसार प्रायोगिक सत्रों का आयोजन करना। (ग) शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य (टीएमए) का मूल्यांकन (घ) पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याओं/प्रश्नों के समाधान के लिए परामर्श करना। (ड) विषय(विषयों) में परिवर्तन या अतिरिक्त विषयों के लिए आवेदन स्वीकार करना व उसे एनआईओएस के क्षेत्रीय केन्द्र को भेजना। (च) शुल्क के भुगतान की तिथियों, परीक्षा की तिथियों, परीक्षा केन्द्र तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराना। (छ) सार्वजनिक परीक्षाओं के परिणाम प्रदर्शित करना। (ज) परीक्षा फार्म और परीक्षा शुल्क स्वीकार करना।
189.	क्या प्रवेश प्राप्त करने के समय अध्ययन केन्द्र का चयन करना अनिवार्य है? उत्तर: हां, विभिन्न सहायता सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रवेश के समय एनआईओएस के अध्ययन केन्द्र का चयन करना अनिवार्य है।
190.	क्या मैं अपना अध्ययन केन्द्र बदल सकता हूँ? उत्तर: जी हां, एनआईओएस के नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र को वैध कारण देकर तथा वैध दस्तावेज प्रस्तुत करके तथा अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके अध्ययन केन्द्र में परिवर्तन किया जा सकता है।
191.	एनआईओएस के क्षेत्रीय केन्द्रों में क्या सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? उत्तर: एनआईओएस के क्षेत्रीय केन्द्रों में निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं: <ul style="list-style-type: none"> (क) प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त किए जाते हैं और उनकी पुष्टि की जाती है। (ख) योग्य शिक्षार्थियों को पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। (ग) सार्वजनिक और जब चाहो तब परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म और शुल्क प्राप्त किया जाता है। (घ) कार्यक्रम के अनुसार सार्वजनिक और जब चाहो तब परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। (ड) शिक्षार्थियों को अंक तालिका और पहचानपत्र जारी किए जाते हैं। (च) विषय में परिवर्तन करने, अध्ययन केन्द्र व परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन करने, डुप्लिकेट दस्तावेज जारी करने के अनुरोध और शिक्षार्थियों की शिकायतों आदि पर कार्रवाई करना।

अध्याय-12

क्या करें व क्या न करें

192.	आवेदन फॉर्म में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े बिना आवेदन फॉर्म न भरें।
193.	प्रवेश के आवेदन फॉर्म में किसी भी कॉलम को खाली न छोड़ें।
194.	प्रवेश के लिए सहायक दस्तोबेजों के बिना आवेदन फॉर्म जमा न कराएं।
195.	अप्राधिकृत एजेंसियों के झांसे में न आएं जो भ्रमित करके आपकी सफलता की गारंटी देते हैं।
196.	प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म में उल्लिखित निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी को भी प्रवेश या परीक्षा के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान न करें।
197.	प्रत्येक विषय में व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों (पीसीपी) को न छोड़ें जिसे सभी एआई अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराते हैं।
198.	परीक्षा के दौरान किन्हीं अनुचित साधनों जैसे नकल करना, अपने स्थान पर किसी और को बैठाना, में लिप्त न हों।
199.	आवेदन जमा करते समय एसएमएस एलर्ट के लिए अपना वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर दें।
200.	अपने अध्ययन केन्द्र में शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य समय पर जमा कराएं और विषय के शिक्षक से फीडबैक प्राप्त करें।
201.	पहचान पत्र भेजे जाने के समय क्षेत्रीय केन्द्रों/एनआईओएस द्वारा भेजे गया स्वागत पत्र पढ़ें।

अध्याय-13

उच्चतर शिक्षा के लिए परामर्श

202.


क्या मैं उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात आगे पढ़ाई कर सकता हूँ?

उत्तर: यदि आप उच्चतर अध्ययन के लिए एनआईओएस के प्रमाणपत्र का प्रयोग करना चाहते हैं तो यह आपके हित में होगा कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि एनआईओएस से माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के पश्चात आप जिस बोर्ड/विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं उसकी आवश्यकताएँ क्या हैं। कुछ बोर्ड/विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए उनके द्वारा मानित संस्थानों से विशिष्ट विषय संयोजन की मांग करते हैं जैसा कि एनआईओएस की विवरणिका में उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए, चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए, पात्रता मानदंड यह है कि आपके बारहवीं में मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी सहित रसायन शास्त्र, भौतिकी और जीवविज्ञान/जैव तकनीकी विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिए। शिक्षार्थी जो एनआईओएस की दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात बारहवीं में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वे उन विषय संयोजनों (आवश्यकता अनुसार 5 या 6 विषयों में) का चयन कर सकते हैं जो एनआईओएस के अधिकारों के प्रति भेदभाव किए बिना उस औपचारिक स्कूल बोर्ड द्वारा ग्यारहवीं कक्षा के लिए स्वीकार्य हो। तथापि, एनआईओएस प्रमाणपत्र अन्य राष्ट्रीय और राज्य बोर्डों द्वारा वैध, मान्यताप्राप्त और उनके समकक्ष हैं।

203.

क्या एक प्रमाणपत्र शिक्षार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं?

उत्तर: जी हां वे ले सकते हैं। एनआईओएस शिक्षार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। तथापि, वे योग्यता मानदंडों जैसे आयु, विशिष्ट विषयों की अपेक्षाओं, न्यूनतम अंक प्रतिशत आदि को अवश्य पूरा करते हों।



अधिक जानकारी

एनआईओएस अपने शिक्षार्थियों और अन्य स्टेक धारकों को वांछित और सही सूचना प्रदान करने में अत्यंत तत्पर है। तदनुसार, शिक्षार्थियों और अन्य स्टेक धारकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की पुस्तिका तैयार की गई है। भविष्य में इसे सभी संबंधितों द्वारा जानकारी के आधार पर अद्यतन किया जाएगा।

अतः यदि कोई, सम्बन्धित व्यक्ति इस पुस्तिका में दी गई जानकारी के अतिरिक्त कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो, निम्नलिखित फॉर्म भरें और निदेशक (विद्यार्थी सहायता सेवाएँ) को निम्नलिखित पते पर भेजें:-

व्यक्ति का नाम :	
पता :	
वांछित जानकारी	



भेजने का पता

निदेशक

(विद्यार्थी सहायता सेवाएँ विभाग)
 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
 ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62,
 गौतम बुद्ध नगर, नोएडा-201309, उ.प्र.



राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान)

ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा, उ.प्र.

वेबसाइट : www.nios.ac.in • टोल फ्री नं. 1800 180 9393